संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

दिशा-निर्देश

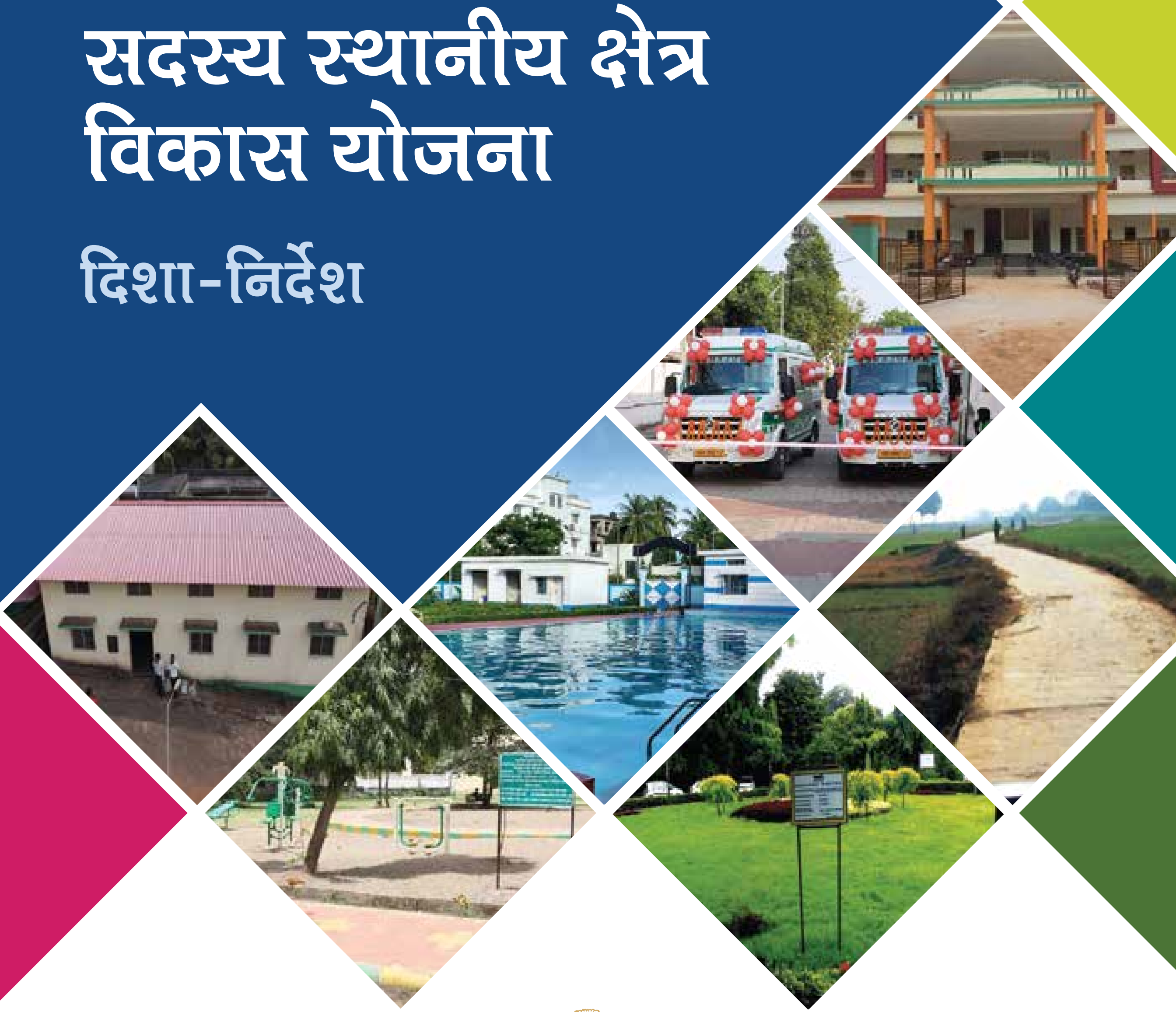

सत्यमेव जयते

1 अप्रैल, 2023

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारत सरकार

www.mplads.gov.in

सत्यमेव जयते

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

दिशा-निर्देश

1 अप्रैल, 2023

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारत सरकार

www.mplads.gov.in

संस्करण

1. प्रथम संस्करण, 22 फरवरी, 2023
2. द्वितीय संस्करण, 14 मार्च, 2023

सारणी

माननीय मंत्री महोदय का संदेश i

सचिव द्वारा प्राक्कथन ii

अपर सचिव द्वारा प्रस्तावना iii

परिभाषाएँ 1

अध्याय 1: क्रियान्वयन 3

अध्याय 2: पृष्ठभूमि 4

अध्याय 3: कार्यान्वयन 6

3.1 नोडल जिले का चयन व कार्यो की अनुशंसा 6

3.2 अनुशंसित कार्यो की स्वीकृति व निष्पादन 7

अध्याय 4: निगरानी 11

4.1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भूमिका 11

4.2 केंद्रीय नोडल एजेंसी की भूमिका 11

4.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भूमिका 12

4.4 राज्य नोडल प्राधिकरण की भूमिका 13

4.5 जिला प्राधिकरण की भूमिका 14

4.6 कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका 15

अध्याय 5: एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्य 16

5.1 अनुमत कार्य 16

5.2 कार्य जो अनुमत नहीं हैं 18

5.3 दिव्यांग जनों के लिए सुलभता 19

5.4 अनुसूचित जातिय और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों का विकास 20

अध्याय 6: पंजीकृत समितियों और न्यासों, सहकारी समितियों और बार संघों को सहायता 21

6.2 पंजीकृत समितियों/न्यासों को सहायता 21

6.3 सहकारी समितियों को सहायता 23

6.4 बार संघों को सहायता 24

अध्याय 7: एमपीलैड्स निधि का अन्य योजनाओं के साथ संमिलन 25

7.2 एमपीलैड्स निधि का मनरेगा के साथ संमिलन 25

7.3 एमपीलैड्स निधि का खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के साथ संमिलन 26

7.4 केंद्र प्रायोजित योजना की बढ़ोतरी हेतु एमपीलैड्स निधि 26

7.5 स्वच्छ भारत अभियान 27

अध्याय 8: आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स कार्य 28

8.12 कार्यान्वयन प्रक्रिया 29

अध्याय 9: प्रशासनिक व्यय 31

9.5 नोडल जिलों में सुविधा केंद्र 34

अध्याय 10: निधि प्रवाह प्रबंधन 36

10.2 बैंक खाते 36

10.3 पीएफएमएस में खातों की मैपिंग 37

10.4 आहरण सीमाएं 38

10.5 केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा पूर्व सांसद की बची हुई राशि (अप्रयुक्त आहरण सीमा) का वितरण 40

10.6 पूर्व सांसदों के कार्यों को पूरा करना और खातों का समायोजन 41

10.7 भुगतान का निपटान 41

10.8 सभी मौजूदा खातों का स्थानन्तरण....42

10.9 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की भूमिका....42

अध्याय 11: लेखांकन प्रक्रिया....43

11.4 लेखापरीक्षा और उपयोगिता प्रमाणपत्र....43

अनुबंध

अनुबंध–I नोडल जिले के चयन हेतु फार्म....45

अनुबंध–II कार्यों की अनुशंसा हेतु फार्मेट....46

अनुबंध–III एमपीलैड्स कार्यों के बारे में पट्टिका का प्रतिरूप....47

अनुबंध–IV करार प्रपत्र....48

अनुबंध–V प्राकृतिक आपदा के लिए सहमति पत्र....52

अनुबंध–VI उपयोग प्रमाणपत्र....53

अनुबंध–VII लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र....55

अनुबंध–VIII एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्यों की सांकेतिक सूची....57

दिशानिर्देशों के संशोधन में शामिल एमपीलैड्स की टीम....62

राव इन्द्रजीत सिंह
RAO INDERJIT SINGH

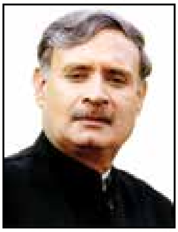

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय तथा
राज्य मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Minister of State (Independent Charge) of the
Ministry of Statistics and Programme Implementation;
MOS (I/C) of the Ministry of Planning and
MOS in the Ministry of Corporate Affairs
Government of India

संदेश

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(एमपीलैड्स) का संचालन करता है जो माननीय सांसदों को स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों पर आधारित टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बनाती है।

2. यह मंत्रालय, माननीय सांसदों, संसदीय समितियों, मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हितधारकों से प्राप्त सुझावों/इनपुट और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद, एमपीलैड्स पर दिशानिर्देशों का एक संशोधित सेट लेकर आया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य, इसे समझने में सरल, अस्पष्टता से मुक्त और लागू करने में आसान बनाना है।

3. यह योजना एक गतिशील वातावरण में संचालित की जाती है, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानीय समुदाय की विकास की जरूरतें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य परिस्थितियों के कारण भिन्न होती हैं तथा यह लगातार बदलती रहती हैं। तदनुसार, संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, माननीय सांसदों को इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को चुनने में अधिक छूट दी गई है, ताकि इससे समाज के बड़े सार्वजनिक हित के लिए टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण हो। इसके अतिरिक्त , कुछ शर्तों के अधीन, अचल परिसंपत्तियों की मरम्मत और नवीनीकरण की भी अनुमति दी गई है।

4. नए दिशानिर्देशों के तहत, निधि प्रवाह तंत्र में भी संशोधन किया गया है । माननीय सांसदों को नई परियोजनाओं की अनुशंसा करने से पहले मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले वास्तविक निधियों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें कुछ शर्तों के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक आहरण सीमा आवंटित की जाएगी। जिला प्राधिकारी भी आहरण सीमा प्राप्त होने पर कार्यों के कार्यान्वयन की शुरुआत कर सकते हैं। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भुगतान अधिकृत किए जाने के बाद वास्तविक निधि अब सीधे वेंडरों के पास जाएगी।

5. मुझे एमपीलैड्स संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए खुशी हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस योजना की क्षमता और प्रभावशीलता में सुधार लाने में काफी मददगार साबित होंगे।

इन्द्रजीत सिंह

(इन्द्रजीत सिंह)

101, Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi-110001
Tel. : 011-23340739, 23340884, 23367245, Fax : 011-23340138

Residence : 6, Lodhi Estate, New Delhi - 110003
Telefax : 011-24643265, 24643266

डॉ. जी.पी. सामंता
सचिव एवं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्

DR. G.P. SAMANTA
Secretary & Chief Statistician of India

भारत सरकार
Government of India
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
Ministry of Statistics and Programme Implementation
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
Khurshid Lal Bhawan, Janpath,
New Delhi-110001
फोन/ Tel. : 011-23742150/23344689
फैक्स/Fax : 011-23742067
ईमेल/E-mail : secretary@mospi.gov.in

प्राक्कथन

एमपीलैड योजना पर संशोधित दिशानिर्देशों के जारी होने पर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस योजना का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर अनुभव की गई आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों के लिए एक प्रणाली प्रदान करना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क आदि। इस योजना की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण माननीय संसद सदस्यों को शासकीय पहलों में कमियों को दूर करने में और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लघु स्तरीय और समयबद्ध परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता मिली है।

2. योजना को और अधिक परिवर्तनीय, सक्षम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से और इसे समुदाय की बदलती विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए, इसमें दिशानिर्देशों को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी और सुझावों के आधार पर संशोधित किया गया है। एक सक्रिय वातावरण में समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है और कई नए प्रावधानों को शामिल किया गया है।

3. मैं, यहाँ श्री आलोक शेखर, अपर सचिव और श्री अरिन्दम मोदक, उप महानिदेशक, के अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सक्रिय नेतृत्व में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीलैड्स डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इतने कम समय में ऐसा बेहतरीन दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का उत्कृष्ट कार्य किया है और जिसके लिए मैं हृदय से इन्हें धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि संशोधित दिशानिर्देशों से एमपीलैड योजना की कार्यशैली, कार्यान्वयन और निगरानी में और अधिक सुधार आएगा।

जी. प्र. सामंता

(जी.पी सामंता)

आलोक शेखर
अपर सचिव
Alok Shekhar
Additional Secretary
Email : as-mospi@nic.in
Tel. : 23742567

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
Government of India
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
Ministry of Statistics & Programme Implementation
कमरा नंबर 311, खुर्शीद लाल भवन, जनपथ
नई दिल्ली-110001
Room No. 311, Khurshid Lal Bhawan, Janpath,
New Delhi-110001

प्रस्तावना

23 दिसंबर, 1993 को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू होने के बाद से, पिछले 30 वर्षों से अधिक समयावधि में, एमपीलैड्स ने स्थानीय स्तर पर अनुभव की गयी आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. यह योजना नियमित दिशानिर्देशों द्वारा शासित की जाती है, जो पहली बार फरवरी, 1994 में जारी किए गए थे और तब से इन्हे समय-समय पर संशोधित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों का अंतिम वृहत पुनरीक्षण जून, 2016 में किया गया था। इसके वृहत संशोधन के वर्तमान कार्य में, दिशा-निर्देशों को सरल, लचीला और गतिशील बनाने का प्रयास किया गया है।

3. नए दिशा-निर्देशों के तहत निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया एक आईटी प्लेटफॉर्म पर संचालित होगी, जिस पर माननीय संसद सदस्य, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियाँ, जिला अधिकारी, आदि, सहित सभी हितधारक निधि और कार्यों की स्थिति की निगरानी वास्तविक समय आधार पर कर सकेंगे। इससे प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

4. अंत में, मैं राव इंद्रजीत सिंह, माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री और डॉ. जी. पी. सामंता, सीएसआई और सचिव को इन दिशानिर्देशों के संशोधन के दौरान उनके सतत मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं इस कार्य के दौरान एमपीलैड्स प्रभाग, एकीकृत वित प्रभाग और इस मंत्रालय की एनआईसी टीम के सभी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। मैं वित मंत्रालय (व्यय विभाग), वित मंत्रालय के पीएफएमएस प्रभाग और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के समर्थन के लिए भी आभारी हूं।

आलोक शेखर

(आलोक शेखर)

परिभाषाएँ

1. **केंद्रीय नोडल एजेंसी:** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के एमपीलैड्स प्रभाग के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, जिसे इसके बाद पीएमयू–एमपीलैड्स कहा जाएगा, केंद्रीय नोडल एजेंसी होगी।

2. **राज्य नोडल प्राधिकरण:** प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए अपने एक विभाग को राज्य नोडल विभाग के रूप में नामित करेगी। उस विभाग के प्रशासनिक सचिव को राज्य नोडल प्राधिकरण कहा जाएगा।

3. **नोडल जिला प्राधिकरण:** इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक संसद सदस्य को एक जिले का चयन करना आवश्यक है, जिसे एमपीलैड्स के तहत निधियों के आवंटन और कार्यों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिले के रूप में जाना जाएगा। चयनित नोडल जिले के प्रशासनिक प्रमुख अर्थात जिले के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त को नोडल जिला प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया जाएगा। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता नगर निगमों के आयुक्त भी नोडल जिला प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं।

4. **कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण:** इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन, एक संसद सदस्य अपने नोडल जिले के अलावा अन्य जिलों में भी कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। कार्यान्वयन करने वाले जिले का प्रशासनिक प्रमुख, जो या तो नोडल जिला या कोई अन्य जिला हो सकता है, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

5. **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक:** व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 में निहित निदेशों के अनुसार

एमपीलैड्स के तहत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करने हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चयनित वाणिज्यिक बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

6. **कार्यान्वयन एजेंसी:** एमपीलैड्स के अनुशंसित और स्वीकृत कार्य का निष्पादन करने के लिए, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा चयनित, उन्हें आवंटित निधियों के संबंध में स्थानीय सरकार, और न्यास, समितियों और सहकारी समितियों सहित सरकार के विभाग को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

7. **उपयोगकर्ता एजेंसी:** वह एजेंसी, जिसे एमपीलैड्स के तहत सृजित चल और अचल संपत्ति, सार्वजनिक उपयोग के लिए सौंपी जाती है, और जो ऐसी संपत्ति की संरक्षक होगी, और स्वयं की लागत पर उनके संचालन, रखरखाव और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी, को उपयोगकर्ता एजेंसी के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

8. **वर्ष:** जहां कहीं भी दिशानिर्देशों में ''वर्ष'' शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है वित्तीय वर्ष।

अध्याय 1

क्रियान्वयन

1.1 ये दिशानिर्देश दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे, और एमपीलैड्स पर पिछले सभी दिशानिर्देशों और इसके तहत जारी किए गए निर्देशों का स्थान लेंगे।

1.2 ये दिशानिर्देश संसद सदस्यों सहित सभी हितधारकों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर लागू होंगे।

1.3 इन दिशानिर्देशों, या इसके किसी भी खंड, या इसके किसी प्रावधान की व्याख्या पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय 2

पृष्ठभूमि

2.1 एमपीलैड योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना की घोषणा 23 दिसम्बर, 1993 को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा संसद में की गई थी।

2.2 इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य को लोगों की स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बनाना है।

2.3 आरम्भ में एमपीलैड्स का प्रशासन–तंत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास था। तथापि, अक्टूबर, 1994 से, योजना का प्रशासन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास निहित है।

2.4 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना को कैसे लागू किया जाएगा और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कैसे निगरानी की जाएगी, इसके सम्बंध में दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.5 योजना संबंधी प्रथम दिशानिर्देश फरवरी, 1994 में जारी किए गए थे। बाद में इन्हें दिसंबर 1994, फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012, मई 2014 और जून 2016 में संशोधित किया गया था।

2.6 दिशानिर्देशों का वर्तमान व्यापक संशोधन 30 वर्षों में प्राप्त अनुभव और लोकसभा और राज्य सभा दोनों के सांसदों और समितियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक, और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थापित तृतीय–पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

2.7 वर्ष 1993–94 में, जब योजना शुरू की गई थी, प्रत्येक संसद सदस्य को 5 (पांच) लाख रुपये प्रति वर्ष की राशि आवंटित की गई थी, जिसे 1994–95 में बढ़ाकर 1 (एक) करोड़

रुपये प्रति वर्ष और आगे 1998–99 में प्रति वर्ष 2 (दो) करोड़ रुपये कर दिया गया था और यह वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 5 (पांच) करोड़ रुपये प्रति वर्ष नियत है।

2.8 वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए, एमपीलैड्स को 6 अप्रैल, 2020 से 9 नवंबर, 2021 तक निलंबित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए इस योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। वित्त वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए अर्थात 10 नवंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक इस योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

अध्याय 3

कार्यान्वयन

3.1 नोडल जिले का चयन व कार्यों की अनुशंसा

3.1.1 कार्यकाल की शुरुआत में, प्रत्येक सांसद को इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–I में दिए गए प्रारूप में, एक नोडल जिले का अपना विकल्प सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी को देना अनिवार्य है। इसके बाद प्रत्येक संसद सदस्य इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–II में दिए गए प्रारूप के अनुसार वेब पोर्टल के माध्यम से पात्र कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। नोडल जिले का चयन और उस क्षेत्र का चयन जिसमें एमपीलैड्स के तहत कार्यों को प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है, का चयन निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगाः

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>संसद सदस्य</th><th colspan="2">नोडल जिले का चयन</th><th>क्षेत्र जिसमें कार्यों की अनुशंसा की जा सकती है</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">लोकसभा के लिए चुने गए</td><td>यदि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक जिले के अधिकार क्षेत्र में है।</td><td>संबंधित जिला</td><td rowspan="2">निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर, पैरा 3.1.2 में दिए गए उपबंधो को छोड़कर</td></tr>
<tr><td>यदि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों के अधिकार क्षेत्र में फैला हुआ है।</td><td>इन जिलों में से कोई एक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>राज्यसभा के लिए चुने गए</td><td colspan="2">उसके चुनाव के राज्य में कोई भी जिला</td><td>चुनाव के राज्य के भीतर, पैरा 3.1.2 में दिए गए उपबंधो को छोड़कर</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>राज्यसभा के लिए मनोनीत</td><td colspan="2">देश का कोई भी जिला</td><td>देश में कहीं भी</td></tr>
</table>

3.1.2 उपरोक्त पैरा 3.1.1 के तहत व निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एक निर्वाचित संसद सदस्य सामान्य क्षेत्र के बाहर देश में कहीं भी काम की अनुशंसा कर सकता है:

3.1.2.1 एक वित्तीय वर्ष में प्रति संसद सदस्य के लिए आपदा की स्थिति को छोड़कर, ऐसी सभी अनुशंसाओ के लिए, 25 लाख रुपये की उच्चतम सीमा होगी।

3.1.2.2 आपदा की स्थिति में, संसद सदस्य इन दिशानिर्देशों के अध्याय 8 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अपनी एमपीलैड निधि का अंशदान कर सकते हैं।

3.1.2.3 यदि अनुशंसित कार्य नोडल जिला प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले किसी कार्यान्वयन जिले से संबंधित है, तो प्रस्तावित कार्य की एक प्रति संसद सदस्यों द्वारा ऐसे जिला प्राधिकरणों को भी भेजी जाएगी।

3.2 अनुशंसित कार्यो की स्वीकृति व निष्पादन

3.2.1 प्रत्येक कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण ''परियोजनाओं की सूची'' बनाएगा और इसे सांसदो को उपलब्ध कराएगा। परियोजनाओं की सूची केवल सांकेतिक होगी, और इन दिशानिर्देशों के अध्याय 5 के अध्यधीन संसद सदस्य लोगों की महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए सूची के अतिरिक्त भी कार्य कि अनुंशंसा दे सकते हैं।

3.2.2 जहां कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को महसूस हो कि अनुशंसित कार्य निष्पादित नहीं किया जा सकता, वह केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण और नोडल जिला प्राधिकरण को यथाशीघ्र सूचित करते हुए संबंधित संसद सदस्य को कारणों से अवगत कराएगा।

3.2.3 यदि अनुमानित लागत माननीय संसद सदस्य द्वारा उल्लिखित धनराशि से अधिक है, तो कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा कार्य तभी स्वीकृत किया जाएगा जब माननीय संसद सदस्य ने कार्य की सहमति प्रदान करते हुए कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत का आवंटन कर दिया हो।

3.2.4 संसद सदस्य द्वारा की गई सभी पात्र अनुशंसाओं के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा अनुशंसाओं की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

3.2.5 किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संसद सदस्य के सभी स्वीकृत कार्यों की कुल अनुमानित राशि ब्याज की राशि और पुनर्वितरण की राशि, यदि कोई है, सहित उस वित्तीय वर्ष तक उसकी पात्रता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.2.6 निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श आचार संहिता के संचालन की अवधि, किसी विशिष्ट कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लागू है, तो उपरोक्त पैरा में उल्लिखित समय सीमा की गणना में शामिल नहीं कि जाएगी।

3.2.7 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को, किसी भी कार्य को स्वीकृति देने से पहले, संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी से अपने स्वयं के संसाधनों से प्रस्तावित परिसंपत्ति के संचालन और रखरखाव की लागत को वहन करने की अपनी इच्छा के संबंध में लिखित में एक वचनबद्धता प्राप्त करनी चाहिए।

3.2.8 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, कार्य को स्वीकृति देने से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों के लिए सभी वैधानिक और नियामक मंजूरी सक्षम प्राधिकरणों से प्राप्त कर ली गई है और कार्य इन दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

3.2.9 किसी भी एक कार्य के लिए एमपीलैड योजना के तहत स्वीकृत न्यूनतम धनराशि सामान्य रूप से 2.5 लाख रुपये से कम नहीं होगी। तथापि, यदि कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण का यह सुविचारित विचार है कि कम राशि का कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए लाभकारी होगा, तो वह स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए इसे स्वीकृत कर सकता है।

3.2.10 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण एक उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करेगा जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट कार्य निष्पादित किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन इस उद्देश्य के लिए लागू राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। केंद्र सरकार की एजेंसियां जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी आदि को भी एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/संगठनों (जैसे रेलवे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आदि) को उनके डोमेन से संबंधित कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुनना अनिवार्य होगा।

3.2.11 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण अनुशंसित कार्यों के लिए उचित लेखा रखेगा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की स्थापित प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित कार्यों के आकलन, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करेगा, तथा नोडल जिला प्राधिकरण को ऐसे कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा (जहां लागू हो), नोडल जिला प्राधिकरण प्रत्येक संसद सदस्य के लिए राज्य नोडल प्राधिकरण और केंद्रीय नोडल एजेंसी को समेकित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

3.2.12 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए दुर्गम/पहाड़ी इलाकों आदि में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, इसके लिए विशिष्ट औचित्य को स्वीकृति पत्र में शामिल किया जाएगा। स्वीकृति पत्र की एक प्रति संबंधित संसद सदस्य को भी भेजी जाएगी।

3.2.13 कार्यान्वयन एजेंसियां कार्यों को निष्पादित करते समय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की स्थापित कार्य संवीक्षा प्रक्रिया और प्रणाली का पालन करेंगी, तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेंगी, दरों की अनुसूची के अनुसार कार्य का वित्तीय आकलन करेंगी, कार्य के निष्पादन के लिए एक खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से वेंडर की पहचान करेंगी और ऐसे कार्यों के समय पर कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी।

3.2.14 सभी कार्य, जिनके लिए संसद सदस्य के कार्यकाल की अंतिम तिथि तक नोडल जिला प्राधिकरण/कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के कार्यालय में अनुशंसाएँ प्राप्त होती हैं, निष्पादित की जाएंगी, बशर्ते कि ये एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हों, और एमपीलैड योजना के तहत उस संसद सदस्य को आवंटित राशि के भीतर हों।

3.2.15 कार्य और कार्य निष्पादन के लिए चयनित स्थल को कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा केवल संबंधित संसद सदस्य की सहमति से ही बदला जाएगा। साथ ही, संबंधित संसद सदस्य कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा कार्य को मंजूरी देने से पूर्व कार्य ओर स्थल में परिवर्तन/रद्द कर सकता है। तथापि, एक बार कार्य प्रारंभ हो जाने और व्यय की देयता सृजित हो जाने के बाद किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, एक संसद सदस्य, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद, उस अवधि के दौरान उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों के किसी भी कार्य या स्थल को नहीं बदल सकता है।

3.2.16 संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों को उत्तराधिकारी संसद सदस्य द्वारा नहीं बदला जा सकता है, भले ही वही व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित हो जाता है, या फिर से नामांकन पर नोडल जिले के रूप में उसी जिले को चुनता है जो उनके पूर्व कार्यकाल में था।

3.2.17 जैसे ही एमपीलैड्स के तहत कोई कार्य पूरा हो जाता है, उसे सार्वजनिक उपयोग में लाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक जन जागरूकता के लिए, 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य' शिलालेख वाली एक पट्टिका (पत्थर/धातु), जिसमें शामिल लागत, प्रारंभ, समापन और उद्घाटन तिथि, और परियोजना को संस्तुत करने वाले संसद सदस्य का नाम स्थायी रूप से परियोजना स्थल पर स्थापित की जानी चाहिए और बेहतर दृश्यता के लिए देखे जाने वाले स्तर पर रखी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो पट्टिका की लागत को कार्य की स्वीकृत लागत में शामिल किया जा सकता है। पट्टिका का एक प्रतिरूप इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–III में दिया गया है।

3.2.18 संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों अर्थात नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, तहसीलों, उप–तहसील, नगर निगमों और समितियों, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, आदि के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक संसद सदस्य के लिए एमपीलैड्स निधि से किए गए सभी कार्यों की सूची, जो पूर्ण और चालू दोनों हैं, को उनके कार्यालय में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और साथ ही उनकी वेबसाइटों पर पोस्ट किया जाना चाहिए, जहां लागू हो।

3.2.19 यदि किसी कारणवश किसी कार्य को रोकना/छोड़ना अपरिहार्य हो जाता है, तो मामले को राज्य नोडल प्राधिकरण को पूर्ण औचित्य के साथ, केंद्रीय नोडल एजेंसी को सूचित करते हुए और संबंधित संसद सदस्य को निर्णय के लिए भेजा जाना चा. हिए। यदि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवश्यक हो, तो राज्य सरकार जिम्मेदारी तय करेगी और दाषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। ऐसे सभी मामलों में, राज्य सरकारें रुके हुए/छोड़े गए कार्यों को अपने खर्चे पर पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी होंगी।

3.2.20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सभी नागरिकों को एमपीलैड योजना के किसी भी पहलू और इसके तहत अनुशंसित, स्वीकृत या निष्पादित कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों, स्वीकृत या स्वीकृत नहीं किए गए कार्यों, स्वीकृत कार्यों की लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों, उपयोगकर्ता एजेंसी आदि के बारे में कोई भी सूचना शामिल हो सकती है। कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवश्यकतानुसार तरीके से जनता को इस प्रकार की सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अध्याय–4

निगरानी

4.1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भूमिका

4.1.1 यह जारी निधियों की समग्र स्थिति, स्वीकृत कार्यों की लागत, उपयोग की गई निधि आदि सहित एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करेगा।

4.1.2 यह एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ बैठक करेगा।

4.1.3 यह एमपीलैड्स के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

4.2 केंद्रीय नोडल एजेंसी की भूमिका

4.2.1 यह समय–समय पर एमपीलैड्स निधियों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगी और एमपीलैड्स कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए मामले को राज्य नोडल प्राधिकारि, नोडल जिला प्राधिकरण या कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, के साथ उठाएगी।

4.2.2 यह इन दिशानिर्देशों के अध्याय 10 में यथावर्णित संशोधित निधि प्रवाह प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

4.2.3 यह जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों से संपरीक्षा और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों की निगरानी करेगी।

4.2.4 यह एमपीलैड योजना के केंद्रीय नोडल लेखा और इसके प्रशासनिक लेखा की संपरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से एक लेखापरीक्षक नियुक्त करेगा। निरंतरता के उद्देश्य से, एक ही लेखा परीक्षक तीन साल तक नियुक्त रह सकता है, और कोई भी नई नियुक्ति अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए एक कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह तक की जानी चाहिए।

4.2.5 यह समय–समय पर पूर्ण किए गए और चल रहे कार्यों के लिए प्रतिदर्श जिलों में स्वतंत्र तृतीय–पक्ष मूल्यांकन करेगी ।

4.2.6 यह एमपीलैड्स पर जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के संचालन के लिए प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करेगी जब कभी ये राज्य नोडल प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

4.2.7 यह एमपीलैड्स पोर्टल और दिशानिर्देशों पर हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और संसद सदस्यों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, राज्य नोडल विभाग, नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन एजेंसियों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, आदि के क्षमता विकास के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण), संगोष्ठियों/वीडियो सम्मेलनों का आयोजन करेगी।

4.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भूमिका

4.3.1 यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एक विभाग को राज्य नोडल विभाग और उस विभाग के प्रशासनिक सचिव को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एमपीलैड्स के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए राज्य नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित करेगा।

4.3.2 एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी के संबंध में पूर्ण अधिकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन जिला प्राधिकारि को सौंपे जाएंगे, ताकि वे तकनीकी रूप से मूल्यांकन कर सकें, सक्षम जिला पदाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय अनुमान प्राप्त कर सकें और अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर सकें।

4.3.3 यह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य निगरानी समिति का गठन करेगा। इस समिति को वर्ष में कम से कम एक बार नोडल और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों और संसद सदस्यों के साथ एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का काम सौंपा जाएगा, जिसमें धन का उपयोग शामिल है। सभी संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव को ऐसी बैठकों में भाग लेना चाहिए।

4.3.4 किसी भी संबंधित व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के किसी भी भौतिक उल्लंघन की स्थिति में, वह अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार भौतिक उल्लंघन और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के जानबूझकर गैर–अनुपालन अर्थात गैर–अनुमेय कार्य, धन का डायवर्जन, अत्यधिक

देरी, लापरवाही, जानबूझकर चूक के साथ घोटाले आदि के ऐसे सभी मामलों में दोषी/अपराधी अधिकारियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, विक्रेताओं आदि के खिलाफ जिम्मेदारी तय करेगी और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।

4.4 राज्य नोडल प्राधिकरण की भूमिका

4.4.1 यह अपने अधिकारियों को, जो उप सचिव/अधिशासी अभियंता के पद से नीचे के न हों, नियमित क्षेत्र का दौरा करके एमपीलैड्स कार्यों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करेगा। राज्य नोडल विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में कम से कम 1% मूल्य के एमपीलैड्स कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। राज्य स्तर पर एक निरीक्षण रजिस्टर का रखरखाव किया जाना चाहिए और उन निरीक्षणों के दौरान निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वे जिला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए एमपीलैड्स कार्यों की संख्या की जांच और समीक्षा भी कर सकते हैं।

4.4.2 अपने स्वयं के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अलावा, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार राज्य नोडल विभाग प्रत्येक वर्ष अपने राज्यों के प्रत्येक जिले में एमपीलैड्स कार्यों की वास्तविक लेखापरीक्षा और गुणवत्ता जांच सहित, तृतीय–पक्ष निरीक्षण भी कराना होगाः रु. 25 लाख और अधिक की लागत वाले सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए; प्रत्येक जिले में रु. 15 से रु 25 के बीच लागत वाले सभी कार्यों का 50 प्रतिशत शामिल किया जाना चाहिए; और शेष कार्यों के लिए, कम से कम 50 कार्यों का एक प्रतिदर्श तैयार किया जाएगा जिसमें विभिन्न मापदंडों जैसे लागत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुख्य रूप से बसे हुए क्षेत्र में कार्य, समितियों, न्यासों और सहकारी समितियों और बार संघों के कार्यों का विवेकपूर्ण संतुलन शामिल हों। ऐसी सभी निरीक्षण रिपोर्टों की एक प्रति अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर से पहले वार्षिक आधार पर केंद्रीय नोडल एजेंसी में प्रस्तुत की जाएगी।

4.4.3 राज्य नोडल विभाग प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों में पुनर्वास कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा। यह अपनी वेबसाइटों पर राज्य में एमपीलैड्स कार्यान्वयन पर डेटा भी पोस्ट करेगा।

4.4.4 यह राज्य नोडल प्राधिकरण के प्रशासनिक लेखा और आपदा लेखा, यदि कोई है, की लेखापरीक्षा के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से एक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा। निरंतरता के उद्देश्य

से, एक ही लेखा परीक्षक तीन साल तक नियुक्त रह सकता है, और कोई भी नई नियुक्ति अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए एक कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह तक की जानी चाहिए।

4.4.5 पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जारी की गई एमपीलैड्स की सभी निधियों की लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी और इसके संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र राज्य नोडल प्राधिकरण की टिप्पणियों, यदि कोई है, के साथ प्रत्येक वर्ष की 30 सितंबर तक केंद्रीय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित नोडल जिला प्राधिकरण इस संबंध में सभी लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों/टिप्पणियों को दूर करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.4.6 यह एमपीलैड्स के कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

4.4.7 यह केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा मांगी गई सभी प्रकार की सूचनाओं/स्पष्टीकरणों को उचित समय अवधि के भीतर उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.5 जिला प्राधिकरण की भूमिका

4.5.1 वे जिला स्तर पर योजना के तहत कार्यों की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.5.2 वे प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करेंगे, और जहां तक संभव हो, ऐसे निरीक्षणों में संबंधित संसद सदस्य को शामिल करेंगे।

4.5.3 वे प्रत्येक संसद सदस्य के लिए और उनके प्रत्येक कार्यकाल के लिए कार्य–पंजिकाओं को बनाए रखेंगे, जिसमें उनके द्वारा अनुशंसित प्रत्येक कार्य की स्थिति का विवरण होगा। इस कार्य पंजिका में कार्य पूर्ण होने पर कार्य संबंधी फोटोग्राफ भी होंगे।

4.5.4 वे एमपीलैड्स के अंतर्गत समितियों और न्यासों के लिए निष्पादित सभी कार्यों का नि. रीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि करारनामे की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। उन्हें करारनामे की शर्तों के उल्लंघन, यदि कोई हो, के मामले में कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

4.5.5 वे इन दिशा निर्देशों के अध्याय 6 के प्रावधानों के अनुसार न्यासों और समितियों के लिए संचालित किए गए कार्यों हेतु अनिवार्य रूप से निरिक्षण पंजिकाओं का रखरखाव करेंगे।

4.5.6 इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के महालेखाकार द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल से एक लेखा परीक्षक शामिल होगा जो, जिलों के प्रशासनिक लेखो और आपदा लेखो, प्रत्येक कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के तहत सभी न्यासों, समितियों, सहकारी समितियों और बार संघ के लेखों जिनके लिए निधियां एमपीलैड्स के तहत जारी की जाती है का लेखा परीक्षण करेगा। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के लेखा की प्रत्येक वर्ष इस शर्त पर लेखा परीक्षा की जाएगी कि इस प्रकार की लेखा परीक्षा में सभी कार्यान्वयी एंजेसियो के उन सभी लेखाओं की लेखा परीक्षा शामिल की जाएंगी जिनके लिए उस वर्ष में अनुज्ञप्तियां जारी की गई थी। निरन्तरता को बनाए रखने के लिए तीन वर्ष तक समान लेखा परीक्षक में बनाए रखा जा सकता है और अगले तीन वित्तिय वर्षो के लिए एक कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह तक नयी नियुक्तियां की जानी चाहिए।

4.5.7 पूर्ववती वर्ष के दौरान जारी एमपीलैड्स निधियों की लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी और इससे संबंधित ऑडिट प्रमाणपत्र कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण की टिप्पणीयो सहित, यदि कोई है तो, प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर तक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण इस संबंध में सभी लेखा संबंधी आपरियों/टिप्पणीयों को हटाने के लिए जिम्मेदार होगा।

4.5.8 वे एमपीलैड्स निधियों द्वारा सृजित और उसके पश्चात उपयोगकर्ता एजेंसियों या लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई सभी परिसंपत्तियों का एक परिसंपत्ति रजिस्टर भी बनाए रखेंगे और सार्वजनिक डोमेन में इन आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे।

4.5.9 वे कम से कम एक बार प्रत्येक माह कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे, जहां संबंधित संसद सदस्य भी आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसी बैठकों पर एक रिपोर्ट विधिवत केंद्रीय नोडल एजेंसी को भेजी जानी चाहिए।

4.6 कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका

4.6.1 कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कार्य स्थलों का नियमित रूप से दौरा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया, विनिर्देशों और समय सारिणी के अनुसार संतोषजनक ढंग से प्रगति हो रही है।

4.6.2 उन्हें उनके द्वारा शुरू किए जा रहे परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के विवरण को दर्शाने के लिए कार्य पंजिका भी बनाए रखना चाहिए। इस पंजिका में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए स्थल के दौरे का विवरण भी शामिल होना चाहिए। उन्हें आवश्यक रूप से कार्यों का शत–प्रतिशत निरीक्षण करना चाहिए।

अध्याय 5

एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्य

5.1 अनुमत कार्य

5.1.1 सांसदों, नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एमपीलैड्स कार्यों की अनुशंसा और स्वीकृति देते समय पालन किया जाने वाला मूल सिद्धांत यह होना चाहिए कि इससे समाज की बड़े स्तर पर जनता की भलाई के लिए टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता हो, और समाज के किसी भी वर्ग के लिए इसकी पहुंच और इसके उपयोग में कोई प्रतिबंध नहीं हो।

*5.1.2 एमपीलैड्स निधि का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर अचल सार्वजनिक संपत्ति और केवल सरकारी स्वामित्व वाली और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों, यानी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय सरकारों के लिए चल सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

5.1.3 एमपीलैड्स निधि से खरीदी गई सभी चल संपत्तियां संबंधित उपयोगकर्ता मंत्रालय/विभाग की संपत्ति होंगी। समस्त चल सम्पत्तियों के क्रय की स्वीकृति समिति द्वारा की जाएगी जिसमें उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में, संबंधित सरकारी विभाग के एक प्रतिनिधि और उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर सदस्य के रूप में, द्वारा नामित अन्य सदस्य होगें। ऐसी चल संपत्ति के लिए लाभार्थीयों द्वारा भुगतान किये जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क, यदि कोई हो, भी उसी समिति द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिए।

5.1.4 इन समग्र सिद्धांतों के तहत, एमपीलैड्स निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:

5.1.4.1 सार्वजनिक और सामुदायिक भवन

5.1.4.2 सार्वजनिक सुविधाएं, बचाव और सुरक्षा

*पैरा 5.1.2 को सां. एवं का. का. मंत्रालय के परिपत्र सं. E-4/2020-MPLADS (Part-I) दिनांक 14.03.2023 के द्वारा संशोधित किया गया है।

5.1.4.3 शिक्षा

5.1.4.4 सार्वजनिक स्वास्थ्य

5.1.4.5 पेयजल और स्वच्छता

5.1.4.6 सिंचाई प्रणाली, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली

5.1.4.7 पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन

5.1.4.8 कृषि और किसान कल्याण

5.1.4.9 ऊर्जा आपूर्ति और वितरण प्रणाली

5.1.4.10 रेलवे, सड़कें, पुल और रास्ते

5.1.4.11 पर्यावरण, जंगली जानवर, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन

5.1.4.12 जन मनोरंजन सुविधाएं, खेल और पार्क

5.1.5 उपरोक्त पैरा 5.1.4 में सूचीबद्ध किए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त एमपीलैड्स के अन्तर्गत संचालित किए जा सकने वाले कार्यों की एक निर्देशात्मक सूची अनुबंध–VIII में दी गई है। तथापि, यह सूची पूर्ण नहीं है और इसमें संसद सदस्य की अनुशंसाओं पर नए कार्य केवल तभी जोड़े जा सकते हैं, जब वे उपर्युक्त उल्लिखित योजना के समग्र सिद्धान्तों के अनुरूप हो। जब एक संसद सदस्य सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए एक नए कार्य की अनुशंसा करेगा, कार्यन्वयी जिला प्राधिकरण प्रस्ताव की जांच करेगा और अपनी अनुशंसाएं केन्द्रीय नोडल एजेंसी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा जो एमपीलैड्स के अन्तर्गत कार्यों की सूची में इसके समावेशन का अनुमोदन करेगा।

5.1.6 उपरोक्त पैरा 5.1.1 से पैरा 5.1.5 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अलग–अलग दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल (मैनुअल या मोटर चालित), इलेक्ट्रिक स्कूटी, श्रवण सम्बन्धी उपकरण और ऐसे अन्य उपकरण दिए जा सकते हैं बशर्ते कि ऐसे लाभार्थियों की पहचान की जाती है और जिले के मुख्य चिकित्सा

अधिकारी के अधीन एक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और एक सार्वजनिक समारोह में पहचाने किए गए लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए जाते हैं। उक्त समिति दरों के औचित्य को भी प्रमाणित करेगी। कोई आवर्ती व्यय या नकद अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। एक व्यक्ति को दिए जाने वाले उपकरणों के लिए विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा अनुदानों की क्लबिंग की भी अनुमति नहीं होगी।

5.1.7 एमपीलैड्स निधि से सृजित प्रत्येक चल संपत्ति पर, जहां तक संभव हो, ''श्री/श्रीमती........................., संसद सदस्य द्वारा योगदान किए गए एमपीलैड्स फंड के साथ भारत सरकार द्वारा प्राप्त/निर्मित...............................(संपत्ति)।'' मोटे अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। ऐसी सभी संपत्तियों का विवरण संबंधित सरकारी संस्थानों के स्टॉक रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया जाएगा।

5.1.8 जिला प्राधिकरण सरकारी कार्यालयों और संस्थानों आदि में प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक उपयोग के लिए ऐसी अचल संपत्तियों के प्रावधान के साथ–साथ ऐसी संपत्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके के बारे में जानकारी के साथ, सार्वजनिक यदि कोई मामला हो तो शिकायत कहाँ दर्ज कराई जाएं आदि की सार्वजनिक नोटिस देगा।

5.1.9 एमपीलैड्स निधियाँ अचल संपत्तियो की मरम्मत और उनके नवीनीकरण के लिए उपयोग की जा सकती है यह इस शर्त के अधीन होगा कि एक संसद सदस्य ऐसी सभी मरम्मतों और नवीनीकरण के लिए केवल 50 लाख रुपए तक की राशि की अनुशंसा कर सकता है, बशर्ते कि संपति का नवीनीकरण इसके वास्तविक निर्माण या अन्तिम मरम्मत से समय के उपयुक्त अन्तराल के बाद ही किया जा सकता है।

5.2 कार्य जो अनुमत नहीं हैं

5.2.1 एमपीलैड्स निधियां किसी भी प्रकार के संचालन और रखरखाव के लिए उपयोग नहीं की जाएगी।

5.2.2 सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्यथा के लिए आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.2.3 वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों से जुड़े सभी कार्य।

5.2.4 किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर एमपीलैड्स निधि के अतंर्गत सृजित परिसंपत्तयों के नामकरण की अनुमति नहीं जाएगी।

5.2.5 कोई अनुदान और ऋण।

5.2.6 किसी केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राहत कोष में योगदान।

5.2.7 भूमि का अधिग्रहण या अधिग्रहित भूमि के लिए कोई मुआवजा।

5.2.8 पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्यों के लिए, या चल वस्तुओं की खरीद या अपूर्ण/चल रही परियोजनाओं/परित्यक्त कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति।

5.2.9 व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभों के लिए परिसंपत्ति, इन दिशानिर्देशों के पैरा 5.1.6 में उल्लिखित को छोड़कर।

5.2.10 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निधियों को एमपीलैड्स निधियों के साथ पूल करना।

5.2.11 धार्मिक प्रकृति के कार्य, या धार्मिक पूजा के स्थानों/परिसरों के भीतर, और धार्मिक आस्था/समूह से संबंधित या स्वामित्व वाली भूमि पर।

5.2.12 स्वागत द्वार का निर्माण।

5.2.13 अनाधिकृत कालोनी में कार्य।

5.2.14 किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय।

5.3 विकलांग व्यक्तियों तक पहुंच प्रदान करना

5.3.1 यह अनिवार्य होगा कि एमपीलैड्स के तहत सृजित सभी चल और अचल संपत्ति जहां भी संभव हो विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल हो। एमपीलैड्स के तहत सृजित मौजूदा परिसंपत्तियों को विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए उनमें रेट्रोफिटिंग की अनुमति होगी।

5.4 अनुसूचित जातिय और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों का विकास

*5.4.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर उचित ध्यान देने के लिए, संसद सदस्य अनुसूचित जाति के आबादी वाले क्षेत्रों में एक वर्ष की कुल एमपीलैड्स पात्रता से कम से कम 15 प्रतिशत की लागत वाले कार्यों और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष की कुल एमपीलैड्स पात्रता के कम से कम 7.5 प्रतिशत कार्यों की प्रतिवर्ष अनुशंसा करेगें।

5.4.2 यदि किसी लोकसभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अपर्याप्त है, तो ऐसी निधि का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां निवास करती हैं और इसके विपरीत स्थिति में भी ऐसा ही होगा।

5.4.3 जनजातीय क्षेत्रों और अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में, जहां भूमि स्वामित्व का हस्तांतरण संभव नहीं है, सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए एमपीलैड्स कार्यों को उसी प्रथा द्वारा निर्देशित किया जा सकता है जिसके माध्यम से राज्य सरकार अन्य सभी सार्वजनिक कार्यों का निर्माण करती है, जैसे अन्य केंद्र/राज्य सरकार विकास योजना के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि। हालांकि, यह इन शर्तों के अधीन होगा कि भूमि मालिक द्वारा एक वचनबद्धता दी जाएगी कि सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार को भूमि दिए जाने के बाद वह ऐसी भूमि या उस पर बनाई गई संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेगा और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अलावा समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा संपत्ति के प्रयोग की निर्बाध पहुंच होगी।

5.4.4 कार्यन्वयन जिला प्राधिकरण मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी और डेटा बनाए रखेंगे, और राज्य नोडल प्राधिकरण को तिमाही आधार पर विवरण प्रस्तुत करेंगे।

*पैरा 5.4.1 को सां. एवं का. का. मंत्रालय के परिपत्र सं. E-4/2020-MPLADS (Part-I) दिनांक 14.03.2023 के द्वारा संशोधित किया गया है।

अध्याय 6

पंजीकृत समितियों और न्यासों, सहकारी समितियों और बार संघों को सहायता

6.1 इन दिशानिर्देशों के पैरा 5.1.2 में निहित कुछ भी होने के बावजूद, एमपीलैड्स निधि का उपयोग बार संघों, पंजीकृत समितियों तथा न्यासों और सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। जिन शर्तों के तहत इस तरह के अनुदान जारी किए जा सकते हैं, वे निम्नलिखित पैरा में दिए गए हैं।

6.2 पंजीकृत समितियों/न्यासों को सहायता

6.2.1 एमपीलैड्स के तहत, पंजीकृत समिति/न्यास के लिए केवल सामुदायिक बुनियादी ढांचे और गैर–व्यावसायिक प्रकृति के सार्वजनिक उपयोगिता भवन के कार्यों की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी समिति/न्यास सामाजिक सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगी हो और यह पिछले तीन साल से अस्तित्व में रही हो।

6.2.2 समिति/न्यास के अस्तित्व की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से इसने क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को शुरू किया था, या प्रासंगिक पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण की तारीख, जो भी बाद में हो।

6.2.3 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी न्यास/समिति नीति आयोग द्वारा बनाए जा रहे दर्पण पोर्टल के साथ पंजीकृत हो और गैर–सरकारी संगठनों के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता संख्या हो।

6.2.4 कार्यान्वयी जिला प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करें कि एमपीलैड्स के तहत लाभार्थी न्यास/समिति को दिए गए अनुदान वास्तविक समय आधार पर दर्पण पोर्टल पर

अद्यतित किए जाते है। इस प्रावधान का किसी भी प्रकार का उल्लंघन न्यास/समिति को एमपीलैड्स के अंतर्गत भविष्य में दिए जाने वाले किसी भी अनुदान से वंचित करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा।

6.2.5 लाभार्थी समिति/न्यास एक सुस्थापित, लोकप्रिय, निर्लाभ इकाई होगी जिसे सम्बन्धित क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ऐसी समिति/न्यास प्रतिष्ठित है या नही, इसका निर्णय कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, प्रासंगिक कारकों को जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में निष्पादन, कल्याण गतिविधियां, उसकी गतिविधियों का निर्लाभ अर्जन की ओर रुझान, उसकी गतिविधियों में पारदर्शिता और सुदृढ़ वित्तिय स्थीति, के आधार पर करेगा।

6.2.6 कार्यों को न्यास/समिति के लिए पैरा 6.2.6.1 से 6.2.6.4 में निर्धारित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है।

6.2.6.1 भूमि का स्वामित्व समिति/न्यास के पास रह सकता है, लेकिन एमपीलैड्स निधि से निर्मित संरचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी। समिति/न्यास एमपीलैड्स के तहत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन, रख–रखाव और रख–रखाव का दायित्व अपनी लागत पर करेगा। यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि एमपीलैड्स निधि से सृजित परिसंपत्ति का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए परिसंपत्ति का वित्त पोषण किया गया था, तो राज्य/संघ राज्य सरकार संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है और समिति/न्यास से वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। इस तरह के काम के लिए कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति जारी करने की तारीख से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संपत्ति के निर्माण के लिए एमपीलैड्स से खर्च की गई लागत सहित इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य द्वारा की गई प्रत्येक अनुशंसा हेतु समिति/न्यास द्वारा कार्यान्वयी जिला प्राधिकरण की सहायता से एक औपचारिक समझौता (एक प्रतिरूप समझौता फॉर्म अनुबंध–IV में दिया गया है) पहले से तैयार किया गया जाऐगा। यह समझौता 10 रुपए या उससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जैसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू है, उचित पंजिकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

6.2.6.2 एक संसद सदस्य सभी समितियों/न्यासों को एक साथ मिलाकर केवल रुपये 50 लाख प्रति वर्ष तक की धनराशि की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते कि संसद सदस्य किसी विशेष

समिति/न्यास के लिए अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के कार्यों की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपये की सीमा, उनके संसद सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन/मनोनयन के उपरान्त नए कार्यकाल के प्रारम्भ होने पर पुनः शुरू होगी।

6.2.6.3 किसी समिति/न्यास के लिए एमपीलैड्स फंडिंग की अनुमति नहीं है, यदि अनुशंसा करने वाला संसद सदस्य या अन्य कोई पदेन संसद सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य संबंधित पंजीकृत समिति/न्यास का अध्यक्ष/सभापति प्रबंध समिति का सदस्य या ट्रस्टी है। परिवार के सदस्यों में संसद सदस्य, उनकी पत्नी/पति, उनके माता–पिता, भाई–बहन, बच्चे, नाती–पोते और उनके पति/पत्नी और उनके ससुराल वाले शामिल होंगे। संसद सदस्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि न्यासों/समितियों के परिपत्र या पारस्परिक वित्त पोषण से बचकर दिशानिर्देशों की भावना को बनाए रखा जाए।

6.2.6.4 इसके अलावा, जब किसी संसद सदस्य द्वारा किसी समिति/न्यास के लिए निधियों की अनुशंसा की गई हो, और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा मंजूरी से पहले जांच के लिए दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक स्पष्टीकरण/दस्तावेजों का अनुरोध किया जाता है, तो उक्त समिति/न्यास को अपेक्षित दस्तावेज, जिला प्रशासन से पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक माह की अवधि तक प्रदान करें। यदि एक माह की अवधि के भीतर दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस समिति/न्यास के लिए संसद सदस्य की अनुशंसा को जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसा करने वाले संसद सदस्य को सूचित करते हुए रद्द कर दिया जाएगा।

6.3 सहकारी समितियों को सहायता

*6.3.1 सहकारी समितियाँ, सहकारी आवासन समितियों को छोड़कर, एमपीलैड्स के तहत पंजीकृत न्यासों/समितियों के समान केवल सामुदायिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता भवनों हेतु सहायता के लिए पात्र होंगी।

6.3.2 सहकारी समिति पिछले 3 वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए और जिला प्राधिकरण की राय में, प्रदर्शन और रिकॉर्ड आदि के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर, प्रतिष्ठित और समुदाय/सार्वजनिक कल्याण के लिए समर्पित होनी चाहिए।

*पैरा 6.3.1 को सां. एवं का. का. मंत्रालय के परिपत्र सं. E-4/2020-MPLADS (Part-I) दिनांक 14.03.2023 के द्वारा संशोधित किया गया है।

6.3.3 एमपीलैड्स निधि से सृजित परिसंपत्ति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी (दिशानिर्देशों का पैरा 6.2.6 यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगा)।

6.3.4 न्यासों/समितियों को सहायता के लिए लागू होने वाली अधिकतम सीमा (एक वित्तीय वर्ष में एक संसद सदस्य द्वारा 50 लाख रुपये) यथावश्यक परिवर्तनों सहित सहकारी समितियों पर लागू होगी (दिशानिर्देशों का पैरा 6.2.6.2)।

6.3.5 अनुशंसा करने वाले संसद सदस्य या अन्य कोई पदेन संसद सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य सहकारी समिति का पदाधिकारी या सदस्य या संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य द्वारा म्युचुअल फंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी (दिशानिर्देशों के पैरा 6.2.6.3 यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे)।

6.4 बार संघों को सहायता

6.4.1 संसद सदस्य बार संघ के नए भवन के निर्माण हेतु तहसील/उप–मंडल/जिला स्तर पर बार संघ के लिए अपने एमपीलैड्स फंड की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए भूमि संबंधित अदालत परिसर के भीतर हो और केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या स्थानीय स्वशासन या बार संघ संबंधित हो। बार संघ के किसी भी आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किसी भी एमपीलैड्स फंड की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.4.2 संसद सदस्य निचली और जिला न्यायालयों के लिए (तहसील/उप–मंडल/जिला स्तर पर न्यायालय) बार संघ पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की खरीद के लिए एमपीलैड्स निधि से रुपये 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) प्रति वर्ष की अनुशंसा कर सकते हैं।

6.4.3 संसद सदस्य की ऐसी सभी अनुशंसाओं की जांच/अनुमोदन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें जिला के उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिले के कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में होंगे, और जिला अटॉर्नी, जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित एक अधीनस्थ न्यायाधीश और सदस्य के रूप में बार काउंसिल द्वारा मनोनीत दो प्रख्यात वकील होंगे।

अध्याय 7

एमपीलैड्स निधि का अन्य योजनाओं के साथ संमिलन

7.1 एमपीलैड्स निधियों, न्यास, समिति और सहकारी समितियों के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को शामिल करते हुए, को अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ–साथ स्थानीय निकायों की व्यक्तिगत/स्टैंड–अलोन परियोजनाओं के साथ पूल किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत अन्यथा पात्र हों। जहां कहीं भी ऐसी पूलिंग की जाती है, वहां पहले अन्य योजनाओं के धन का उपयोग किया जाना चाहिए और परियोजना को पूरा करने हेतु अंतराल को भरने के लिए एमपीलैड्स निधि का उपयोग केवल अंत में किया जाना चाहिए।

7.2 एमपीलैड्स निधि का मनरेगा के साथ संमिलन

7.2.1 एमपीलैड्स निधि का उपयोग केवल उन परियोजनाओं के लिए सामग्री घटक खरीद हेतु किया जाएगा जिन्हें सक्षम प्राधिकरण द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए जिले की वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया है।

7.2.2 एक बार संसद सदस्य द्वारा मनरेगा के लिए किसी कार्य की अनुशंसा करने के बाद, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

7.2.3 ग्राम पंचायत ऐसी परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

7.2.4 चूंकि ऐसी परियोजनाओं में सामग्री और श्रम घटकों के एक साथ प्रवाहित होने की उम्मीद है, ऐसे पूलिंग में यह आवश्यक नहीं होगा कि एमपीलैड्स निधि का उपयोग केवल अंत में किया जाए।

7.2.5 एमपीलैड्स और मनरेगा दोनों के लिए व्यय का लेखा अलग से रखा जाएगा।

7.2.6 परियोजना स्थल पर एक संयुक्त पट्टिका (पत्थर/धातु) जिसमें शामिल लागत, एमपीलैड्स और मनरेगा से योगदान, प्रारंभ, समापन और उद्घाटन तिथि, और एमपीलैड्स के तहत काम को अनुशंसित करने वाले संसद सदस्य के नाम को दर्शाते हुए स्थायी रूप से स्थापित कि जानी चाहिए।

7.3 एमपीलैड्स निधि का खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के साथ संमिलन

7.3.1 एक संसद सदस्य खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की परियोजना सूची में से गांवों और ब्लॉकों के पहाड़ी क्षेत्रों में खेल के मैदानों को समतल करने, चारदीवारी के निर्माण आदि सहित खेल के मैदानों के विकास जैसे कार्यों की अनुशंसा कर सकता है बशर्ते ऐसी परियोजनाएं एमपीलैड्स के तहत अन्यथा पात्र हों।

7.3.2 इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों और खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के प्रावधान के अधीन टिकाऊ खेल संपत्ति, जैसे बहुउद्देश्यीय खेल हॉल, एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल, हॉकी टर्फ, आदि के निर्माण के लिए अभिसरण की भी अनुमति होगी।

7.3.3 एमपीलैड्स और खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम दोनों के लिए व्यय का लेखा अलग से रखा जाएगा।

7.3.4 परियोजना स्थल पर एक संयुक्त पट्टिका (पत्थर/धातु) जिसमें शामिल लागत, एमपीलैड्स और खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम से योगदान, प्रारम्भ, समापन और उद्घाटन की तिथि, और एमपीलैड्स के तहत काम को अनुशंसित करने वाले संसद सदस्य के नाम को दर्शाते हुए स्थायी रूप से स्थापित कि जानी चाहिए।

7.4 केंद्र प्रायोजित योजना की बढ़ोतरी के लिए एमपीलैड्स निधि

7.4.1 संसद सदस्य अपनी एमपीलैड्स निधि में से एक निश्चित राशि से केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र और राज्य के हिस्से के ऊपर और उस भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाते हुए, जहां बढ़ी हुई राशि को खर्च किया जाना है, अनुशंसा कर सकते हैं।

7.4.2 हालांकि, संसद सदस्य केंद्र प्रायोजित योजना के तहत इस तरह की बढ़ी हुई राशि के लिए लाभार्थियों को इंगित नहीं कर सकते हैं। कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा पहले से तैयार की गई प्राथमिकता सूची के अनुसार लाभार्थी बने रहेंगे, और सूची को संसद सदस्य के अनुरोध पर नहीं बदला जाएगा।

7.5 स्वच्छ भारत अभियान

7.5.1 इन दिशानिर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, एक संसद सदस्य स्वच्छ भारत अभियान के लिए निधियों में वृद्धि की अनुशंसा कर सकता है, जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है।

7.5.2 तथापि, ऐसी सभी अनुशंसाएं इन दिशानिर्देशों के पैरा 7.1 और पैरा 7.4 में निहित प्रावधानों के अधीन होंगी।

7.6 एमपीलैड्स निधि का उपयोग केंद्र/राज्य सरकार के कार्यक्रम/योजना में सार्वजनिक और सामुदायिक योगदान के स्थान पर नहीं किया जाएगा, जो ऐसे अशंदान प्रदान करता है।

7.7 संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्यों में सार्वजनिक और सामुदायिक अंशदान की अनुमति है। ऐसे मामलों में एमपीलैड्स निधियां, अनुमानित राशि में से सार्वजनिक और सामुदायिक अंशदान घटाकर, सीमित कर दी जाएंगी।

अध्याय 8

आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स कार्य

8.1 कोई भी संसद सदस्य देश में कहीं से भी इन दिशानिर्देशों के अन्य प्रावधानों के अधीन, देश के किसी भी हिस्से में भारत सरकार द्वारा घोषित 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और निर्माण कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए तक के अपने एमपीलैड्स निधियों की सहमति दे सकते हैं।

8.2 उपरोक्त पैरा 8.1 के प्रावधानों के अतिरिक्त, जब 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से घोषित की गई है, न कि भारत सरकार द्वारा, उस राज्य में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा संसद सदस्य और उस राज्य के कोई भी राज्य सभा सदस्य उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष की सहमति दे सकते हैं।

8.3 प्रत्येक संसद सदस्य केन्द्रीय नोडल एजेंसी/राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा आपदा की घोषणा की तिथि से 90 दिन के भीतर वांछनीय रूप से इन दिशा निर्देशों के अनुबंध–V में दिए गए प्रारूप में अपने नोडल जिला प्राधिकरण को अपनी सहमति देंगे। यदि सहमति प्राधिकार का हस्तांतरण किसी वैध कारण की वजह से संभव नही हुआ, यह नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा संबंधित संसद सदस्य को उसकी सहमति की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर बताया जाना चाहिए।

8.4 भारत सरकार द्वारा घोषित 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' की स्थिति में केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा आपदा प्रभावित राज्यों के लिए एक पृथक सहायक खाता खोला जाएगा ताकि सहमत राशि से संबंधित प्राधिकार प्राप्त की जा सके। राज्य सरकार द्वारा घोषित 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' की स्थिति में राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा एक पृथक सहायता खाता खोला जाएगा ताकि सहमत राशि से संबंधित अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सके।

8.5 इसी प्रकार, आपदा प्रभावित जिलों के लिए उस जिले के संबंध में राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए एक पृथक सहायक खाता खोला जाएगा।

8.6 संसद सदस्य के नोडल जिला प्राधिकरण से पुष्टि होने पर, केंद्रीय नोडल एजेंसी प्रभावित राज्यों के राज्य नोडल प्राधिकरण के आपदा राहत खाते की आहरण सीमा को बढ़ाएगी, साथ ही साथ उस नोडल जिला प्राधिकरण की आहरण सीमा को कम करेगी।

8.7 राज्य नोडल प्राधिकरण एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत कार्यों की सूची तैयार करेगें और राज्य के मुख्य सचिव के स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करेगें। हालांकि, कार्यों के इस तरह के अनुमोदन को एक बार की गतिविधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह निधि की उपलब्धता के साथ–साथ होना चाहिए।

8.8 आपदा प्रभावित राज्य नोडल प्राधिकरण आहरण सीमा की उपलब्धता के अधिकतम 45 दिनों के भीतर आपदा राहत कार्यों को स्वीकृत कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.9 राज्य नोडल विभाग संसद सदस्यों और केंद्रीय नोडल एजेंसी को आपदा निधि से शुरू किए जा रहे अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की सूची से अवगत कराएगा।

8.10 कार्यान्वयन जिलों के आपदा खातों की आहरण सीमा आपदा प्रभावित राज्य के राज्य नोडल प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत कार्यों के सत्यापन के बाद तय की जाएगी, और केंद्रीय नोडल एजेंसी से प्राप्त कुल प्राधिकार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.11 राज्य नोडल प्राधिकरण कम से कम भारत सरकार के निदेशक के पद या वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा, जो नियमित रूप से चल रहे पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा।

8.12 कार्यान्वयन प्रक्रिया

8.12.1 सभी पुनर्वास कार्य उनके अनुमोदन के 18 महीने के भीतर पूरे किए जाएंगे।

8.12.2 यदि स्वीकृत आहरण सीमा की उपलब्धता के बावजूद 18 माह के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो राज्य नोडल प्राधिकरण राज्य के मुख्य सचिव/संघ राज्य क्षेत्र

के प्रशासक के अनुमोदन से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

8.12.3 यदि कार्य 18 माह के भीतर पूर्ण नहीं किया जाता है तथा समस्त स्वीकृत आहरण सीमाओं का भी उपयोग कर लिया गया है, तो इस मामले में कार्यों को ''छोड़े गए/निलंबित कार्यों'' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इन दिशानिर्देशों के पैरा 3.2.19 में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी।

8.12.4 किसी विशिष्ट आपदा का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी को उस आपदा के लिए स्वीकृत आहरण सीमा उपलब्ध होने के 21 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

8.12.5 किसी विशिष्ट आपदा का अस्वीकृत शेष, यदि यह राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा आहरण सीमा प्राप्त करने की तिथि से 12 महीने से अधिक अस्वीकृत रहता है, तो इसे आपदा प्रभावित राज्य के राज्य आपदा राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

8.12.6 कार्यों के पूरा होने के बाद, आहरण सीमा में सभी अव्ययित शेष राशि को आपदा प्रभावित राज्य के राज्य आपदा राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अध्याय 9

प्रशासनिक व्यय

9.1 केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण एमपीलैड्स के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए निधियों के लिए पात्र होंगे। ऐसे खातों की आहरण सीमा यथा उल्लिखित के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

प्राधिकरण	प्रशासनिक व्यय के लिए निधियों का आवंटन
केंद्रीय नोडल एजेंसी	नोडल जिला प्राधिकरणों को जारी किए गए कुल प्राधिकार का 0.1%
राज्य नोडल प्राधिकरण	उस राज्य में प्राप्त कुल प्राधिकार का 0.1%
नोडल जिला प्राधिकरण	नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कुल प्राधिकार का 0.8%
कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण	नोडल जिला प्राधिकरण से आहरण सीमा के रूप में प्राप्त प्रत्येक प्राधिकार का 1.0%

9.2 राज्य नोडल प्राधिकरण और नोडल जिला प्राधिकरण के पास ऐसे खातों की आहरण सीमा केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएगी। हालांकि, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के साथ खाते की निकासी सीमा नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा एक कार्यान्वयन जिले के विकास कार्य के लिए अनुशंसित राशि के 1.0% के रूप में तय की जाएगी।

9.3 ऐसे प्रशासनिक खातों के तहत उपलब्ध आहरण सीमा का उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

9.3.1 **केंद्रीय नोडल एजेंसी**

9.3.1.1 सांख्यिकी एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा एमपीलैड्स कार्यान्वयन की निगरानी।

9.3.1.2 तृतीय पक्ष निरीक्षण–एमपीलैड्स कार्यों की वास्तविक लेखापरीक्षा और गुणवत्ता जांच।

9.3.1.3 एमपीलैड्स की योजना/निगरानी के लिए कार्यालय, बैठक हॉल, वीसी हॉल, कार्यालय फर्नीचर, वाहन, आईटी सिस्टम (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), आदि सहित आधारभूत संरचना का निर्माण करना।

9.3.1.4 इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आईटी सिस्टम और पोर्टल के विकास और प्रबंधन के लिए श्रमबल की भर्ती।

9.3.1.5 एमपीलैड योजना के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और चल रहे एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी का प्रसार करना।

9.3.1.6 एमपीलैड्स पर जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के संचालन के लिए प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना जब भी राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है।

9.3.1.7 एमपीलैड्स पोर्टल और दिशानिर्देशों पर हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और संसद सदस्यों, सीएनए के अधिकारी और कर्मचारी, मंत्रालय, राज्य नोडल विभाग, नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन एजेंसियां, उपयोगकर्ता एजेंसियां, आदि के क्षमता विकास के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण), सेमिनार/वीडियो सम्मेलनों का आयोजन करना।

9.3.1.8 पूरे किए गए लेखों की संपरीक्षा करवाने तथा लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में किया गया व्यय।

9.3.1.9 अदालती मामलों के लिए किया गया व्यय।

9.3.2 राज्य नोडल प्राधिकरण

9.3.2.1 तृतीय पक्ष निरीक्षण–एमपीलैड्स कार्यों की वास्तविक लेखापरीक्षा और गुणवत्ता जांच।

9.3.2.2 एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में राज्य स्तर पर कार्यों की निगरानी और केंद्रीय नोडल एजेंसी की सहायता करना।

9.3.2.3 एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद और मुद्रण।

9.3.2.4 निम्न श्रेणियों से तकनीकी कार्मिकों को पूरी तरह आकस्मिक आधार पर भर्ती करनाः लेखापाल / प्रोग्रामर / परामर्शदाता / निगरानी अधिकारी।

9.3.2.5 योजना के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और चल रहें एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी का प्रसार करना।

9.3.2.6 आईटी सिस्टम सहित कार्यालय फर्नीचर, स्टेशनरी, उपकरण की खरीद।

9.3.2.7 टेलीफोन, इन्टरनेट, फैक्स, डाक शुल्क आदि पर आवर्ती व्यय।

9.3.2.8 निरीक्षण करने के लिए वाहनों को किराए पर लेना, इस शर्त के साथ कि इस खाते पर कुल लागत केवल 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की अनुमति होगी।

9.3.2.9 अदालती मामलों के लिए किया गया व्यय।

9.3.3 नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण

9.3.3.1 इन दिशानिर्देशों के पैरा 9.5 में बताए गए अनुसार सुविधा केंद्र की स्थापना और उसके बाद के पूंजीगत व्यय।

9.3.3.2 निम्न श्रेणियों से तकनीकी कार्मिकों को पूरी तरह आकस्मिक आधार पर भर्ती करनाः लेखापाल / प्रोग्रामर / परामर्शदाता / निगरानी अधिकारी।

9.3.3.3 विशिष्ट मामलों में, जहां आवश्यक हो, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वास्तुकार और परामर्शदाता की भर्ती।

9.3.3.4 एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में जिला स्तर पर कार्यों की निगरानी और केंद्रीय और राज्य नोडल एजेंसी की सहायता करना।

9.3.3.5 योजना के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और चल रहें एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी का प्रसार करना।

9.3.3.6 आईटी सिस्टम सहित स्टेशनरी, कार्यालय फर्नीचर और उपकरण की खरीद

9.3.3.7 टेलीफोन, इन्टरनेट, फैक्स, डाक शुल्क आदि पर आवर्ती व्यय।

9.3.3.8 पूरे किए गए लेखों की संपरीक्षा करवाने तथा लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में किया गया व्यय।

9.3.3.9 निरीक्षण करने के लिए वाहनों को किराए पर लेना, इस शर्त के साथ कि इस खाते पर कुल लागत केवल 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की अनुमति होगी।

9.4 राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण या इसकी कोई भी कार्यान्वयन एजेंसी एमपीलैड्स के तहत कार्यों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में इस अध्याय के तहत प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रदान की गई राशि के अलावा कोई अन्य खर्च नहीं उदग्रहण नहीं करेगी।

9.5 नोडल जिलों में सुविधा केंद्र

9.5.1 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एमपीलैड्स से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए नोडल जिलों में एक एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा।

9.5.2 सुविधा केंद्र जिले में चल रहे एमपीलैड्स कार्यों के बारे में सभी जानकारी, सभी पूरे किए गए कार्यों की जानकारी, अद्यतन वित्तीय जानकारी और अद्यतित एमपीलैड्स दिशानिर्देश और परिपत्र, दोनों भौतिक और साथ ही डिजिटल रूप में सभी जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए। इसे परियोजनाओं की सूची, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्यों का विवरण, लंबित परीक्षण, अपात्र और अस्वीकृत पाए गए कार्यों, स्वीकृत कार्यों और लंबित स्वीकृति पर कारणों के साथ विवरण भी बनाए रखना चाहिए।

9.5.3 ऐसे सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए स्थान नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा अधिमानतः डीआरडीए के परिसर या सीडीओ के कार्यालय/सीईओ जिला पंचायत कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

9.5.4 यदि किसी जिले को एक से अधिक संसद सदस्यों द्वारा अपने नोडल जिले के रूप में चुना गया है तो वही सुविधा केंद्र ऐसे सभी संसद सदस्यों की एमपीलैड्स निधि के लिए सेवा प्रदान करेगा।

9.5.5 यह सुविधा केंद्र नोडल जिला प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण में और एमपीलैड्स के लिए नोडल अधिकारी की देखरेख में काम करेगा।

9.5.6 सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय, अर्थात उपकरण फर्नीचर आदि पर व्यय (जनबल को छोड़कर) नोडल जिला प्राधिकरण के पास प्रशासनिक व्यय के लिए उपलब्ध एमपीलैड्स निधि पर प्रभारित किया जाएगा बशर्ते कि एक सुविधा केंद्र पर कुल पूंजीगत व्यय 5 लाख रुपये से अधिक न हो। सुविधा केंद्र पर बाद में पूंजीगत व्यय पांच साल के अंतराल के बाद ही किया जा सकता है।

9.5.7 तकनीकी जनबल, यदि आवश्यक हो, प्रत्येक सुविधा केंद्र के लिए नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते इस तरह की नियुक्तियां पूरी तरह से आकस्मिक आधार पर होंगी, और यह किसी भी पद के बदले नहीं होगा और किसी भी रूप में, सरकारी रोजगार के रूप में नहीं माना जाएगा। जनबल को काम पर रखने की लागत को एमपीलैड्स पर प्रशासनिक व्यय के रूप में लिया जा सकता है ।

9.5.8 सुविधा केंद्र का अपना ई–मेल पता होना चाहिए, जिसे एमपीलैड्स से संबंधित कोई भी सार्वजनिक प्रश्न प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। इस ई–मेल पते पर प्राप्त सभी प्रश्नों का उचित अवधि के भीतर विधिवत उत्तर दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो जिला प्राधिकरण को आईटी सहायता और सुविधा केंद्र के लिए ईमेल आईडी आदि की स्थापना के लिए जिला एनआईसी सेल की सहायता लेनी चाहिए।

अध्याय 10

निधि प्रवाह प्रबंधन

10.1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीलैड्स प्रभाग के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू–एमपीलैड्स) को योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है। वास्तविक निधि केवल केंद्रीय नोडल खाते में होगी और जब कभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से मांग की जाती है तो निधि सीधे विक्रेता के खाते में जमा की जाएगी।

10.2 बैंक खाते

10.2.1 केंद्रीय नोडल एजेंसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक बचत खाता खोलेगी जिसे विशेष रूप से एमपीलैड्स के अंतर्गत धन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय नोडल खाता कहा जाएगा।

10.2.2 केंद्रीय नोडल खाता एमपीलैड्स के अंतर्गत सभी निधियां सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संगत बजट शीर्ष से केंद्रीय रूप से प्राप्त करेगा, बशर्ते कि पिछले वर्ष से पहले के वर्ष में जारी सभी निधियों के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही केंद्रीय नोडल एजेंसी को नई धनराशि जारी की जाएगी ।

10.2.3 केंद्रीय नोडल खाते में अंतरित निधि को वित्तीय वर्ष के अंत में भारत की संचित निधि में वापस नहीं किया जाएगा और इस खाते में शेष राशि का उपयोग आगामी वित्तीय वर्षों में एमपीलैड्स के लिए किया जा सकता है।

10.2.4 केंद्रीय नोडल एजेंसी/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक न तो एमपीलैड्स निधियों को किसी अन्य खाते में अंतरित करेगी और न ही निधि को सावधि जमा/फ्लेक्सी–खाता/बहुविकल्पी जमा खाते/कॉर्पोरेट तरल सावधि जमा खाते, आदि में हस्तांतरित करेगी।

10.2.5 प्रत्येक पदेन और पूर्व संसद सदस्य, यदि पूर्व सांसदों की एमपीलैड्स निधि का उपयोग अभी भी किया जाना है तो इसके लिए एक अलग सहायक खाता खोला जाएगा।

10.2.6 इसी तरह, प्रत्येक कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों के लिए सहायक खाते खोले जाएंगे।

10.2.7 प्रत्येक नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के अंतर्गत, एमपीलैड्स कार्यों को निष्पादित करने हेतु उनके द्वारा सौंपे गए प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सहायक खाते खोले जाएंगे।

10.2.8 इन दिशानिर्देशों के अध्याय 9 में उल्लिखित प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए उनके हिस्से के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों, प्रत्येक के लिए एक अलग सहायक खाता खोला जाना चाहिए।

10.2.9 जैसा कि इन दिशानिर्देशों के पैरा 8.4 और पैरा 8.5 में उल्लेख किया गया है, आपदा प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक राज्य नोडल प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण भी आपदा राहत के लिए प्रतिबद्ध निधियों के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए एक अलग सहायक खाता खोलेंगे।

10.2.10 केंद्रीय नोडल एजेंसी के पूर्व अनुमोदन से नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त संख्या में सहायक खाते खोले जा सकते हैं। यदि ऐसे खाते कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खोले जाने की आवश्यकता है, तो केवल नोडल जिला प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

10.2.11 कर कटौती स्रोत (टीडीएस) के संग्रह के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण प्रत्येक के लिए होलडिंग खाते खोले जाने चाहिए।

10.3 पीएफएमएस में खातों की मैपिंग

10.3.1 संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए खोले गए सभी खातों, जिनमें केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन एजेंसियां, विक्रेता आदि के खाते शामिल हैं, को अनिवार्य रूप से पीएफएमएस में मैप किया जाएगा।

10.3.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इन खातों में निधि का प्रवाह शुरू होने से पहले ये सभी खाते पीएफएमएस पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत हैं। उन्हें यह भी

सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएफएमएस के साथ एकीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के वेब पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस की जानकारी वास्तविक समय के आधार पर अपडेट की जाती है।

10.4 आहरण सीमाएं

10.4.1 केंद्रीय नोडल एजेंसी को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीलैड्स प्रभाग से प्राप्त निर्देशों/स्वीकृति के अनुसार संसद सदस्य के प्रत्येक खाते के लिए खर्च करने हेतु नोडल जिला प्राधिकरणों के लिए आहरण सीमा तय करने हेतु अधिकृत किया जाएगा।

10.4.2 नोडल जिला प्राधिकरण में प्रत्येक सहायक खाते की आहरण सीमा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में या संसद सदस्य के कार्यकाल की शुरुआत में, जैसा भी मामला हो, तय की जाएगी।

10.4.3 किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए, संसद सदस्य के लिए आवंटन उस वर्ष संसद सदस्य के रूप में उसकी अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष में संसद सदस्य के रूप में अवधि	आवंटन
3 महीने से कम	शून्य
3 से 9 महीने	वार्षिक आवंटन का 50%
9 महीने से अधिक	वार्षिक आवंटन का 100%

10.4.4 किसी विशिष्ट संसद सदस्य के वार्षिक आवंटन में से कोई भी अव्ययित शेष आगे ले जाया जाएगा और बाद के वित्तीय वर्ष के लिए उस संसद सदस्य के वार्षिक आवंटन में जोड़ा जाएगा, और नोडल जिला प्राधिकरण के साथ उसके खाते की निकासी सीमा तदनुसार तय की जाएगी।

10.4.5 जारी की गई धनराशि का कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र सीधे केंद्रीय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

10.4.6 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय, केंद्रीय नोडल एजेंसी के खाते में अर्जित ब्याज संसद के सभी मौजूदा सदस्यों (राज्य सभा और लोकसभा दोनों) के बीच समान रूप

से वितरित किया जाएगा, जिन्होंने उस वित्तीय वर्ष में 9 महीने से अधिक की सेवा की है। वर्ष और संबंधित खातों की आहरण सीमा तदनुसार बढ़ाई जाएगी। यह प्रावधान केवल सितंबर 2023 तक लागू होगा, जब तक कि वित्त मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ाया या संशोधित न किया जाए।

10.4.7 संसद सदस्य की अचानक मृत्यु या इस्तीफे के मामले में, उपरोक्त पैरा 10.4.3 में आवंटन नियम के बावजूद, उस संसद सदस्य की मूल पात्रता के अनुसार कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा विधिवत स्वीकृत किए गए कार्यों को पूरा किया जाएगा। नए आने वाले संसद सदस्यों के लिए पात्रता उक्त फॉर्मूले के अनुसार नए सिरे से शुरू होगी।

10.4.8 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों की आहरण सीमा नोडल जिला प्राधिकरणों द्वारा संबंधित संसद सदस्य की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों को सौंपे गए कार्यों के लिए जारी की गई स्वीकृतियों के आधार पर तय की जाएगी।

10.4.9 इसी प्रकार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यान्वयन एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों के लिए स्वीकृत राशि के आधार पर आहरण सीमा निर्धारित करेंगे।

10.4.10 आपदा राहत निधि प्राप्त करने के लिए राज्य नोडल प्राधिकरणों और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों की आहरण सीमा इन दिशानिर्देशों के अध्याय 8 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

10.4.11 नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आहरण सीमा तदनुसार गतिशील होगी और समय–समय पर जारी की गई नई स्वीकृतियों और विक्रेताओं को जारी भुगतान की सीमा के आधार पर बदल जाएगी।

10.4.12 किसी भी स्तर पर आहरण सीमा में वृद्धि के लिए दी जाने वाली कोई विशेष छूट, जो इस दिशा–निर्देशों में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है, का निर्णय मामले–दर–मामले आधार पर केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

10.5 केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा पूर्व सांसद की बची हुई राशि (अप्रयुक्त आहरण सीमा) का वितरण

10.5.1 लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, एमपीलैड्स निधि की शेष राशि जिसका पूर्ववर्ती संसद सदस्य के कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरवर्ती सांसद को हस्तांतरित की जाएगी। नए परिसीमन के मामले में, केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। ।

10.5.2 राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य के संबंध में, कार्यों में उपयोग नहीं की गई और किसी विशिष्ट राज्य में पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा अपने पद छोड़ने पर नोडल जिलों के पास छोड़ी गई शेष राशि, उस राज्य के सभी पदेन निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। हालांकि, उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से पिछले कार्यकाल की निरंतरता में फिर से चुने गए राज्यसभा सदस्यों के अनुशंसित कार्यों के लिए उपयोग नहीं की गई धनराशि को उसके नए चुने गए नोडल जिले में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

10.5.3 शेष राशि, अर्थात नोडल जिले में राज्य सभा के पूर्ववर्ती मनोनीत सदस्यों के कार्यों के लिए उपयोग नहीं की गई निधियाँ, राज्य सभा के सभी पदेन मनोनीत सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी।

10.5.4 उपरोक्त पैरा 10.5.1 से 10.5.3 में यथा उल्लिखित एमपीलैड्स निधियों का वितरण केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा संबंधित जिला प्राधिकरणों से पूर्व संसद सदस्य के खाते को बंद करने की लिखित रूप में पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि, कार्यों के लिए अप्रतिबद्ध निधियों को उपरोक्त पैरा 10.5.1 से 10.5.3 में यथा उल्लिखित संसद सदस्यों के खातों में तुरंत हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात, संसद के मौजूदा सदस्य, जो बढ़ी हुई निधि प्राप्त करने के पात्र हैं, के खाते की आहरण सीमा को उस सीमा तक अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी।

10.5.5 सामान्यतः, एक निर्वाचित/मनोनीत संसद सदस्य के इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण समय से पहले हुई रिक्ति को सीट खाली करने वाले संसद सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए चुनाव/नामांकन द्वारा भरा जाता है। संसद के नए सदस्य को समय से पहले सीट खाली

करने वाले संसद सदस्य के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाएगा और शेष राशि संसद के अन्य सदस्यों के बीच वितरित नहीं की जाएगी, बल्कि संसद के उत्तरवर्ती सांसद के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

10.6 पूर्व संसद सदस्यों के कार्यों को पूरा करना और खातों का समायोजन

10.6.1 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य, जो सम्यक रूप से स्वीकृत हैं, सांसद के पद छोड़ने की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरे हो गए हैं और उसके बाद खाता बंद करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। अतः, नोडल जिला प्राधिकरण पूर्व सांसदों के ऐसे खातों को उनके पद छोड़ने की तारीख से अधिकतम 21 महीने की अवधि के भीतर समायोजित और बंद करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

10.6.2 पूर्व सांसद के पद छोड़ने की तारीख से 21 महीने की अवधि के बाद, जैसा कि ऊपर पैरा 10.6.1 में उल्लेख किया गया है, बचे हुए स्वीकृत कार्यों, यदि कोई हों, को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के खर्च पर पूरा किया जाएगा चूंकि निधियों के उपयोग में विलंब पूर्ण रूप से उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए उत्तरदायी है।

10.7 भुगतान का निपटान

10.7.1 एमपीलैड्स के तहत सभी भुगतान केंद्रीय नोडल खाते से विक्रेताओं को वास्तविक समय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे, और धन का प्रवाह तभी शुरू होगा जब ऐसे भुगतान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अधिकृत किए जाएंगे।

10.7.2 राज्य नोडल प्राधिकरणों, नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों के सहायक शून्य शेष खातों का उपयोग केवल खातों के प्रभाव के अंतरण के रूप में किया जाएगा।

10.7.3 सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर, कार्यान्वयन एजेंसियां बचत की राशि, यदि कोई हो, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के एमपीलैड्स खाते में भेज देंगी, जो इसे आगे नोडल जिला प्राधिकरण को भेज देंगे।

10.8 सभी मौजूदा खातों का स्थानन्तरण

10.8.1 राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण इन दिशानिर्देशों के लागू होने के तुरंत बाद एमपीलैड्स के तहत सभी मौजूदा खातों को बंद करने के लिए जिम्मेदार होंगे और एमपीलैड्स की सभी अव्ययित राशि को व्यय विभाग, वित्तीय मंत्रालय के कार्यलय ज्ञापन संख्या नं. F. No. 1 (18)/PFMS/FCD/2021, दिनांक 9 मार्च, 2022 के तहत केंद्रीय नोडल खाते में हस्तांतरित करना होगा।

10.8.2 सहायक खाते खोले जाने के बाद, केंद्रीय नोडल एजेंसी एकमुश्त पद्धति के रूप में वापस की गई अव्ययित शेष राशि के समतुल्य आहरण अधिकार देगी।

10.8.3 केंद्रीय नोडल एजेंसी इन दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल जिला प्राधिकरणों के किसी भी आहरण अधिकार को तब तक निर्धारित नहीं करेगी जब तक कि वे सभी अस्वीकृत शेष राशि को केंद्रीय नोडल खाते में हस्तांतरित नहीं कर देते हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

10.9 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की भूमिका

10.9.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एमपीलैड्स निधि के निर्बाध प्रवाह के लिए प्रणाली और पदानुक्रम विकसित करेगा और इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सहायक खाते खोलने और निधियों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10.9.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने एमआईएस को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आईटी सिस्टम/वेब पोर्टल, पीएफएमएस के साथ बिना किसी अतिरिक्त लागत के एकीकृत करेगा।

10.9.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय नोडल एजेंसी के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों, राज्य नोडल प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

अध्याय 11

लेखांकन प्रक्रिया

11.1 एमपीलैड्स से निकलने वाली निधियों का संचालन करने वाले सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की प्रक्रिया के अनुसार लेखा बही रखेंगी।

11.2 किसी कार्य के पूरा होने पर, कार्यान्वयन एजेंसी/प्राधिकरण उस कार्य के लिए खातों को शीघ्र अंतिम रूप देगें और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगें।

11.3 इसके बाद, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसी बिना किसी देरी के उपयोगकर्ता एजेंसी को संपत्ति हस्तांतरित करने की व्यवस्था करेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी को परिसंपत्ति का अधिग्रहण करना होगा और इस बारे में अपने स्वयं के संपत्ति रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि करनी होगी।

11.4 लेखापरीक्षा और उपयोगिता प्रमाणपत्र

11.4.1 जब भी वेंडर को कोई भी भुगतान किया जाता है, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–VI में निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

11.4.2 केन्द्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसी के प्रशासनिक खातों सहित सभी खातों और उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के महालेखाकार की सिफारिश पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स या स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों या किसी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। प्रत्येक वर्ष, ऐसी सभी लेखापरीक्षा विविरण नोडल जिला प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी को इन दिशा–निर्देशों के तहत दिए गए समयबद्धता के अनुसार प्रस्तुत किए जाएगें।

11.4.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में निर्धारित प्रारुप के अनुसार अपने लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

11.4.4 किसी भी वर्ष में जारी की गई निधियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिला प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी को अगले वर्ष 30 सितम्बर से पहले प्रस्तुत की जाएगी।

11.4.5 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा कि वह सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करे।

11.4.6 इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा का परीक्षण करेंगे और जिला प्राधिकरणों, राज्य सरकार और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे।

अनुबंध-I

नोडल जिले के चयन हेतु फार्म
(समस्त संसद सदस्यों के लिए)

मैं (दिनांक/माह/वर्ष) से राज्य सभा/लोक सभा का निर्वाचित/मनोनीत सदस्य हूँ। एमपीलैड्स कार्य के कार्यान्वयन के लिए मेरी पसंद का नोडल जिला है
चयनित जिला : ———————————— राज्य/संघ राज्य क्षेत्रः ————————————

(संसद सदस्य का हस्ताक्षर) दिनांकः————————

पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ————————————————————————
स्थाई पता : ————————————————————————————
————————————————————————————————
—————————————————————————— पिन : ——————————
दिल्ली का पता : ——————————————————————————
————————————————————————————————
—————————————————————————— पिन : ——————————

संपर्क विवरणः
मोबाईल संख्या ————————————
लैंडलाइन : (एसटीडी कोड सहित) ——————— (संख्या) ————————————————
ई मेलः ————————————————————————————
(पते में कोई बदलाव हो तो निम्नलिखित प्राधिकरण को तुरंत सूचित करें)

सेवा में,
निदेशक (पीएमयू–एमपीलैड्स)
सांख्यिकी एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार,
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ,
नई दिल्ली–110001

प्रतिलिपिः
1. सचिव,——————————(नोडल विभाग), राज्य सरकार————————————
2. ————————————————————के जिला क्लेक्टर/जिलाधिकारी/क्लेक्टर

टिप्पणीः
1. एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट प्राप्त करने के लिए सभी फील्ड अनिवार्य हैं।
2. यह जानकारी ईमेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।

अनुबंध-II

कार्यों की अनुशंसा हेतु फार्मेट
(अनुशंसाएं केवल संसद सदस्यों के द्वारा की जाएगी)

स्थानः
दिनांकः
प्रेषकः

श्री / श्रीमती / सुश्री———————————————————————
संसद सदस्य (लोक सभा / राज्य सभा)
अवधि / कार्यकाल————————————————————————

सेवा में,
जिला कलेक्टर / उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट / नगर निगम आयुक्त————————————

विषयः एमपीलैड्स स्कीम के अंतर्गत कार्यों की अनुशंसा ।

महोदय,

मैं अनुशंसा करता हूं कि निम्नलिखित कार्यों की संवीक्षा की जाए और एमपीलैड्स निधि से स्वीकृत किए जाएं:

प्राथमिकता सं.	कार्य का स्वरूप	स्थान	अनुमानित लागत (रूपये लाख में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

उपर्युक्त कार्यों के लिए तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी उनकी विधिवत संवीक्षा के बाद जारी की जाए। स्वीकृत कार्यों को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार शुरु किया जाना चाहिए और शीघ्र पूरा किया जाए। कृपया मुझे स्वीकृति और कार्य के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से अवगत कराते रहें।

भवदीय,

(संसद सदस्य का नाम)

अनुबंध-III

एमपीलैड्स कार्यों के बारे में पट्टिका का प्रतिरूप

श्री/श्रीमती/सुश्रीः–––––––––––––(संसद सदस्य का नाम)––––––––––––द्वारा अनुशंसित संसद सदस्य (लोकसभा/राज्यसभा)

अवधि/कार्यकालः––

कार्य का नाम : ––

आरंभ करने की तिथि :––

पूरा करने की तिथि :––

उद्घाटन की तिथि : ––

कार्य की कुल लागत :––

एमपीलैड्स/अन्य स्रोत से वित्तपोषण का विवरण :–––––––––––––––––––––––––––––

अनुबंध-IV

करार प्रपत्र

यह करार ———————————————————————— को ———————————— ——————————————————————— के राज्यपाल जो ———————————— (पदनाम एवं पता) जिला प्राधिकरण जिन्हें आगे पहले भाग का प्रथम पक्ष;

तथा

————————————————— (पंजीकृत सोसाईटी/पंजीकृत न्यास का नाम एवं पता) के मुख्य अधिशासी, जिन्हें आगे दूसरे भाग का द्वितीय पक्ष कहा गया है, के बीच किया गया है ।

जबकि प्रथम पक्ष, जिला प्राधिकरण के रूप में सांसदों द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अनुशंसित विकासात्मक कार्यों को ——————————————— जिला में कार्यान्वित करवाने के लिए एक मात्र प्राधिकरण है ।

और

जबकि द्वितीय पक्ष, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या किसी राज्य के किसी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में ————————(तिथि, माह, वर्ष) से ————————वर्ष से अधिक समय से समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगा है तथा गैर लाभ अर्जित प्रचालन और अच्छी वित्तीय स्थिति के साथ समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में सुस्थापित और ख्याति प्राप्त है।

इसलिए अब दोनों पक्षों में इस करार पर सहमति हुई है और वे अपने आप को निम्नलिखित शर्तों से बाध्य मानते हैंः–

1. प्रथम पक्ष उपरोक्त सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के समय–समय पर संशोधित दिशा–निर्देशों (इसके पश्चात् एमपीलैड्स योजना के नाम से संबंधित) के अनुसार सांसदों द्वारा की गई अनुशंसा पर ————————के निर्माण का कार्य करेगा ।

2. द्वितीय पक्ष, दिशा–निर्देशों के अनुसार आम जनता के लाभार्थ जनता द्वारा प्रयोग के लिए विषय पर प्रथम पक्ष द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से सृजित परिसम्पतियों को प्राप्त करने तथा इसका रख–रखाव करने के लिए पात्र होगा ।

3. एक कार्य ————————————————————————(स्थान का नाम, जिला तथा पिन कोड) में ——————————————————————————————(कार्य का नाम) के निर्माण के लिए, जिसकी लागत पर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति जताई है और जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत——————————————————————————(संबंधित सांसद का नाम) द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित किया गया है, जो निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् दूसरे पक्ष को सौंपने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा कराया जाएगा ।

4. प्रथम पक्ष, सोसाइटी/न्यास से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के खंड 13 के विशेष संदर्भ में सोसाइटी के संस्था ज्ञापन तथा न्यास अधिनियम के धारा–77 तथा धारा 78 के विशेश संदर्भ के रूप में न्यास विलेख तथा संगठन के अस्तित्व एवं प्रतिष्ठा से तथा एक गैर लाभ संस्था के रूप में उसकी कार्य प्रणाली, निष्पादन की पारदर्शिता, अच्छी वित्तीय स्थिति लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा से अपने आपको संतुष्ट करने के लिए आवश्यक रिकार्ड मंगा सकता है ।

5. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को इस आशय का ब्यौरा देगा कि जिस संगठन का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है वह एक क्रियाशील संगठन है तथा पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहा है और सामाजिक सेवा तथा/अथवा कल्याण गतिविधियों में कार्यरत है ।

6. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को यह भी ब्यौरा देगा कि द्वितीय पक्ष द्वारा विकास कार्यों के लिए प्रथम पक्ष को दी गई भूमि तथा स्थाई संपति सभी तरह की बाधाओं से मुक्त है, लंबित मुकदमेबाजी से मुक्त है तथा शहरी भूमि (हदबंदी तथा नियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित नहीं है ।

7. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को यह ब्यौरा भी देगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से सोसाइटी——————————————————— अथवा ट्रस्ट के लिए बनाई गई परिसम्पतियां हर तरह की बाधा से, सिवाय इस कार्य/परियोजना के उद्देश्य के लिए अग्रिम के मुक्त हैं ।

8. द्वितीय पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निर्मित स्थाई परिसम्पतियां जो कि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई संपत्तियों पर निर्मित की

गई हैं, आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध होंगी । यदि यह पाया जाता है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित परिसंपतियों का जिस उद्देश्य से इस का निर्माण किया गया था, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है और आम जनता की उक्त आधारी संरचना तक पहुंच नहीं है, तो प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को आवश्यक सूचना जारी करेगा तथा दूसरे पक्ष की राय पर विचार करने के बाद, यदि प्रथम पक्ष आवश्यक समझे तो उस परिसम्पति का अधिग्रहण कर लेगा एवं 18 प्रतिशत ब्याज की दर से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के बराबर लागत वसूल करेगा।

9. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित परिसम्पतियों का संपूर्ण स्वामित्व हमेशा के लिए राज्य/केंद्रीय सरकार के पास निहित रहेगा।

10. द्वितीय पक्ष सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित ऐसी परिसम्पतियों को बिना राज्य सरकार के लिखित अनुमोदन के विक्रय/हस्तांतरण/अन्यथा उसके किसी हिस्से का निपटान नहीं करेगा। सरकार के लिखित अनुमोदन के पश्चात् सभी परिस्थितियों में परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति जो कि 18 प्रतिशत ब्याज की दर से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए निवेश की सीमा तक, हमेशा प्रथम पक्ष के पास निहित एवं उनसे संबंधित रहेगी।

11. द्वितीय पक्ष, एतद्द्वारा परिसंपत्तियों के प्रचालन, रख–रखाव एवं व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व लेता है बशर्ते, जिसका प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी प्रतिनिधि/उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत नामित व्यक्ति द्वारा आवधिक रूप से लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण किया जाएगा।

12. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को नियमित रूप से तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर–अंदर वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करेगा।

13. चूंकि इस करारनामे से अचल संपति पर 100/–रूपए से अधिक का ब्याज भविष्य में अर्जित होता है, इस करारनामे को संबंधित जिले में पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए।

14. इस करारनामे में जहां भी करारनामे में शामिल शर्तों के कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव की पूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होगा, जिला प्राधिकरण तथा सोसाइटी अथवा न्यास पद अपने उत्तरवर्ती अथवा अनुमत समनुदेशिती (समनुदेशितों) को शामिल करेगा ।

साक्षी के रूप में उपस्थित पक्षों द्वारा अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करारनामे को यहां उपरोक्त लिखे गए दिवस तथा वर्ष को कार्यान्वित किया गया है ।

––––––(राज्य) के राज्यपाल के लिए तथा उनकी ओर से जिला प्राधिकरण द्वारा निष्पादित

सोसाइटी/न्यास/द्वितीय पक्ष, जिसे ––––––––––––के संकल्प दिनांक –––––––––––के द्वारा हस्ताक्षर करने तथा इस करारनामे को निष्पादित करने का प्राधिकार है, के लिए तथा उसकी ओर से –––––––––––द्वारा निष्पादित

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में:
साक्षी:

1. ––––––––––––––––––––––––

2. ––––––––––––––––––––––––

अनुबंध-V

प्राकृतिक आपदा के लिए सहमति पत्र

दिनांकः————————————

सेवा में,

————————————————————————————

(नोडल जिला प्राधिकरण,——————————————————)

राज्य ——————————————————————————

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री——————————————, संसद सदस्य (लोकसभा/राज्यसभा) इसके द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में————————————(राज्य/राज्य संघ क्षेत्र सरकार) के ———————————— (आपदा का नाम) के कारण राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अपने एमपीलैड्स फंड से ————————————रुपये जारी करने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

2. मैं आपदा के लिए मेरी एमपीलैड्स निधियों की अप्रतिबद्ध/अव्ययित शेष राशि से आवंटित निधियों को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए भी अपनी सहमति देता हूं।

(——————————————————)

संसद सदस्य का हस्ताक्षर
श्री/श्रीमती/सुश्री————————————————————
सांसद (लोक सभा/राज्य सभा)
अवधि/कार्यकालः————————————————————

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक , पीएमयू–एमपीलैड्स, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
2. राज्य नोडल विभाग ——————————————(आपदा से प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र)

अनुबंध-VI

उपयोग प्रमाण पत्र

(नोटः केवल वही कॉलम भरें जो लागू हों)

कार्य की प्रकृति (विकासात्मक/आपदा/प्रशासनिक)
संसद सदस्य का नामः
लोकसभा/राज्य सभाः
अवधि/कार्यकालः
राज्यः ——————————————————————————
नोडल जिला प्राधिकरणः ——————————————————————
कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणः————————————————————
क्रियान्वयन एजेंसीः ————————————————————————
कार्य का नामः————————————————————————
कार्य का स्थानः———————————————————————
कार्य स्वीकृति तिथि (अनुमोदन तिथि) (दिन/माह/वर्ष)———————————
कार्य के लिए कुल स्वीकृत राशि——————————————————
विक्रेता विवरणः (विक्रेता का नाम, यूनीक कोड और खाता संख्या)

विक्रेता का नाम	**विक्रेता यूनीक कोड**	**खाता संख्या**

कार्य की स्थितिः (पूर्ण/प्रगति में)—————————————————
भुगतान स्वीकृति दिनांकः——————————————————————
स्वीकृत राशिः—————————————————————————
यूटीआर संख्या (वर्तमान):——————————————————————
पहले जारी किए गए भुगतान का विवरण, यदि लागू हो (राशि/तारीख):————————

किए गए आंशिक भुगतानों की संख्या	**भुगतान स्वीकृति दिनांक**	**भुगतान स्वीकृति राशि**	**यूटीआर सं.**

☐ 1. प्रमाणित किया जाता है कि <CNA/SNA/NDA/IDA> द्वारा <दिन/माह/वर्ष> को स्वीकृत कार्य/गतिविधि का नाम के लिए एमपीलैड्स निधियों के रु.<₹₹₹> का ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है।

☐ 2. पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद मैं प्रमाणित करता हूं कि जिन शर्तों पर फंड स्वीकृत किया गया था, उन्हें पूरी तरह से पूरा किया गया है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच का प्रयोग किया है कि पैसा वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया था, उसके लिए उपयोग किया गया।

- ☐ मैंने सृजित/प्राप्त की गई संपत्ति का भौतिक निरीक्षण किया है और मैं इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता से संतुष्ट हूं।
- ☐ मैंने किए गए व्यय को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर लिया है और इसकी तर्कसंगतता से संतुष्ट हूं।
- ☐ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक नियमों और एमपीलैड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हो।

(यदि संपत्ति निर्माण के लिए अंतिम भुगतान किया गया है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त वचनबद्धता दी जानी चाहिए)

☐ 3. पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद मैं प्रमाणित करता हूं कि जिन शर्तों पर फंड स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत पूरा किया गया है और एमपीलैड योजना के तहत बनाई गई संपत्ति विधिवत रूप से उपयोगकर्ता एजेंसी <उपयोगकर्ता एजेंसी का नाम> को सौंप दी गई है। .

☐ 4. <₹₹₹>रुपये के अव्ययित प्राधिकार को कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण <आईडीए का नाम> के एमपीलैड्स खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वापस भेज दिया गया है।

स्थानः कार्यान्वयन एजेंसी का नामः

दिनांकः पदनामः

कार्यालय का पताः

ईमेलः

टेलीफोनः

अनुबंध-VII

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

संसद सदस्य का नामः ——————————————————————————————

लोकसभा / राज्य सभाः——————————————————————————————

अवधि / कार्यकालः——————————————————————————————

राज्यः ——————————————————————————————

नोडल जिला प्राधिकरणः——————————————————————————————

कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणः——————————————————————————————

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने 31 मार्च —————— (वर्ष) को <एजेंसी का नाम (CNA/SNA/NDA/IDA)> के <खाते के उद्देश्य> के लिए जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए खातों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के लिए 31 मार्च ——————(वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलनपत्र, खातों, प्राप्ती एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय का ऑडिट किया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं किः

(क) तुलनपत्र को नोट्स के साथ पढ़ा गया, जो 31 मार्च —————————— (वर्ष) तक एमपीलैड्स की स्थिति और मामलों के बारे में सही और सटीक जानकारी देता है।

(ख) प्राप्ति एवं भुगतान खाते 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए योजना के लेन–देन का सही और सटीक जानकारी देते हैं।

(ग) आय एवं व्यय खाते में दिखाया गया व्यय उपयोगिता प्रमाण पत्र में उचित रूप से दर्शाया गया है।

(घ) निधियों के विपथन और व्यय की अस्वीकार्य मदों का कोई मामला नहीं है।

(ङ) जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संपत्ति रजिस्टरों को ठीक से अनुरक्षित किया गया है।

(च) जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित प्रतिवेदन लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा हैः

i) 31 मार्च ––––––––––(वर्ष) को समाप्त वर्ष के लिए भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।

ii) 31 मार्च –––––––––– (वर्ष) तक संचयी भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट। लोक सभा के मामले में, संसद के सदस्यों की स्थापना के समय से और राज्यसभा के सदस्यों के लिए उनके कार्यकाल की अवधि के लिए)।

iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 31 मार्च––––––––––(वर्ष) तक के कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय विवरण :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कार्यों का भौतिक और वित्तीय विवरण	**भौतिक (कार्यों की संख्या)**		**वित्तीय (कार्यों की लागत)**	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
अनुसूचित जाति क्षेत्र				
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र				

iv) एमपीलैड्स उपयोगिता प्रमाण पत्र

(छ) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित उक्त खातों पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है। (यदि वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान कोई लेखापरीक्षा आपत्ति और आपत्तियां लंबित हैं, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा इंगित लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, इसे इस प्रमाणपत्र में इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर संबंधित अधिकारियों की टिप्पणियों के साथ सील और हस्ताक्षर के साथ संलग्न किया जाएगा)।

(ज) 31 मार्च––––––––(वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष में एमपीलैड्स के तहत धन प्राप्त करने वाले सभी ट्रस्टों/सोसायटियों द्वारा एमपीलैड्स के तहत किए गए सभी कार्यों का लेखापरीक्षा किया गया है और उन्हें सही पाया गया है।

(प्रमाणपत्र ऑडिटिंग फर्म के लेटर हेड पर दिया जायेगा जिसमे स्पष्ट रूप से मुहर के साथ लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर, नाम, पता, टेलीफोन, फैक्स और ईमेल होगा।)

अनुबंध-VIII

एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्यों की सांकेतिक सूची

1. सार्वजनिक और सामुदायिक भवन

1.1 सामुदायिक केन्द्रों एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण

1.2 सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं रीडिंग कक्षों का निर्माण

1.3. सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद

1.4. जन सुविधा के लिए शमशान घाट/शमशान घाट पर ढाँचा

1.5. बेघरों के लिए रैन बसेरों का निर्माण

1.6. कारीगरों के लिए सामान्य कार्य शेड

1.7. सामुदायिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भवनों का निर्माण

1.8. आवश्यक जीवनरेखा भवनों में रेट्रोफिटिंग

1.9. सरकारी कार्यालय भवनों का निर्माण (डाक कार्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकी आदि)

1.10. मौजूदा सार्वजनिक और सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कमरों और हॉल का निर्माण

1.11. मौजूदा सार्वजनिक और सामुदायिक भवनों की चारदीवारी का निर्माण

1.12. विरासत और पुरातात्विक स्मारकों और इमारतों का रेट्रोफिटिंग, संरक्षण या बचाव

2. सार्वजनिक सुविधाएं, सुरक्षा और संरक्षा

2.1. बाढ़ और चक्रवात संभावित क्षेत्रों के लिए मोटर बोट की खरीद

2.2. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना

2.3. साइकिल ट्रैक और अलग–अलग गैर–मोटर चालित वाहन (एनएमवी) लेन का निर्माण

2.4. बस–शेड या बस–स्टॉप का निर्माण

2.5. सरकार द्वारा संचालित संस्थानों के लिए फायर टेंडर की खरीद

2.6. सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम उपलब्ध कराना

3. शिक्षा

3.1. स्कूल और कॉलेजों में कमरों और हॉल का निर्माण

3.2. शौचालय ब्लॉकों का निर्माण

3.3. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आईटी सिस्टम की खरीद

3.4. स्मार्ट बोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रोजेक्टर की खरीद

3.5. प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद
3.6. प्रयोगशालाओं की स्थापना
3.7. रसोई और पेंट्री की स्थापना
3.8. स्कूल वैन और बसों की खरीद (चार और तिपहिया वाहन)
3.9. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद
3.10. खेल के मैदान का विकास
3.11. खेल उपकरणों की खरीद
3.12. सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनिरेटर की खरीद
3.13. मोबाइल पुस्तकालयों के लिए वाहनों की खरीद
3.14. पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद
3.15. क्रेच और आंगनवाड़ी के लिए भवनों का निर्माण
3.16. क्रेच और आंगनवाड़ी के लिए उपकरणों की खरीद

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य

4.1. अस्पतालों, परिवार कल्याण केन्द्रों, जन स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों एवं ए.एन.एम. केन्द्रों के लिए कमरों एवं सुविधाओं का निर्माण
4.2. अस्पताल उपकरणों की खरीद
4.3. एंबुलेंस की खरीद (चार, तीन और दो पहिया वाहन)
4.4. हियर्स वाहन की खरीद
4.5. मोबाइल औषधालयों के लिए वाहन की खरीद (चार, तीन और दो पहिया वाहन)
4.6. प्रोस्थेटिक्स, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल (मैनुअल या मोटराइज्ड), इलेक्ट्रिक स्कूटी, श्रवण यंत्र की खरीद
4.7. विकलांग पात्र व्यक्तियों के लिए शारीरिक/मानसिक/दृष्टि/श्रवण बाधितों के लिए आवश्यक अन्य सहायक उपकरणों/उपकरणों की खरीद

5. पीने का पानी और स्वच्छता

5.1. ट्यूब वेल व बोरवेल लगाना
5.2. हैंडपंप लगवाना
5.3. पानी की टंकियों का निर्माण
5.4. पानी के वाहन टैंकरों की खरीद

5.5. सामुदायिक पेयजल संयंत्रों की स्थापना
5.6. पीने के पानी के लिए आपूर्ति पाइपलाइन बनाना
5.7. सार्वजनिक जल निकासी के लिए नालियां और गटर बनाना
5.8. सार्वजनिक शौचालयों एवं स्नानगारों का निर्माण
5.9. कचरा संग्रह और निपटान प्रणाली प्रदान करना
5.10. मल संग्रह और निपटान प्रणाली प्रदान करना
5.11. मोबाइल स्वच्छता उपकरण की खरीद
5.12. सामुदायिक बहिस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना

6. सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली

6.1. सार्वजनिक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण
6.2 सार्वजनिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना
6.3 सार्वजनिक भूजल पुनर्भरण सुविधाओं की स्थापना
6.4 बाढ़ नियंत्रण तटबंधों का निर्माण
6.5 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण

7. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन

7.1 पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों का निर्माण
7.2 बीमार और घायल पशुओं को ले जाने के लिए एंबुलेंस की खरीद
7.3 पशु चिकित्सा सहायता केन्द्रों के लिए भवन निर्माण
7.4 कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्रों के लिए भवन का निर्माण
7.5 वीर्य बैंकों के लिए भवनों का निर्माण और अचल संपत्ति उपलब्ध कराना
7.6 पशुओं के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण
7.7 पशुओं के लिए मोबाइल लैब और क्लीनिक स्थापित करना
7.8 सामुदायिक उपयोग के लिए मछली और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ संयंत्रों, फ्रीजिंग और पैकिंग संयंत्रों की स्थापना करना

8. कृषि और किसान कल्याण

8.1 कृषक प्रशिक्षण एवं सहायता केन्द्रों की स्थापना
8.2 मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

8.3 कृषि एवं हॉर्टिकल्चर उत्पादों के लिए नियत तौल मशीन की स्थापना

8.4 सामुदायिक उपयोग के लिए पराली की सफाई और सुपर सीडर मशीनों की खरीद

9. ऊर्जा आपूर्ति और वितरण प्रणाली

9.1 स्ट्रीट लाइट

9.2 सार्वजनिक स्थानों की रोशनी

9.3 बिजली वितरण अवसंरचना में सुधार

9.4 सार्वजनिक गैर–पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

9.5 सामुदायिक गोबर–गैस संयंत्र की स्थापना

9.6 सामुदायिक उपयोग के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा प्रणाली और उपकरणों की खरीद

10. रेलवे, सड़कें, पुल और रास्ते

10.1 सड़कों, संपर्क सड़कों, लिंक सड़कों और पाथवे का निर्माण

10.2 फुटपाथों और पैदल मार्गों का निर्माण

10.3 पुल एवं पुलिया का निर्माण

10.4 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर मार्ग का निर्माण

10.5 पुल के नीचे सड़क का निर्माण

10.6 रोड ओवर ब्रिज तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक सीढ़ी का निर्माण

10.7 फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण

10.8 सार्वजनिक उपयोग के लिए एस्केलेटर और ट्रैवललेटर्स का प्रावधान

10.9 रेलवे हॉल्ट स्टेशन का निर्माण

10.10 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म और यात्री शेड का निर्माण

10.11 रेलवे स्टेशनों पर पक्की प्रतीक्षा कुर्सियों और बेंचों की स्थापना

11. पर्यावरण, जंगली जानवर, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधन

11.1 नए तालाबों का निर्माण

11.2 समुदाय के लिए वृक्षारोपण

11.3 वन संरक्षण बुनियादी ढांचा

11.4 तालाबों और झीलों का जीर्णोद्धार

11.5 कृत्रिम रीफ का निर्माण

11.6 प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना

11.7 सामुदायिक उपयोग के लिए बायोडाइजेस्टर की खरीद

12. सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाएं, खेलकूद और पार्क

12.1 सार्वजनिक उद्यानों का विकास

12.2 खेल के मैदानों और खेल के मैदानों का विकास

12.3 खेल सुविधाओं के लिए भवनों का निर्माण

12.4 प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण

12.5 मल्टी जिम के लिए भवनों का निर्माण

12.6 स्टेडियमों का निर्माण

12.7 अचल खेल उपकरण की खरीद

12.8 मल्टी–जिम उपकरणों की स्थापना

12.9 फिक्स्ड गार्डन जिम उपकरण की स्थापना

12.10. हॉकी और फुटबॉल के लिए सिंथेटिक टर्फ बिछाना

12.11 उपभोज्य वस्तुओं को छोड़कर, खेल उपकरण प्रदान करना

दिशानिर्देशों के संशोधन में शामिल एमपीलैड्स की टीम

श्री अरिन्दम मोदक	उप महानिदेशक
श्री सुनील कुमार जस्सल	उप सचिव
श्री सुनील कुमार	उप सचिव
सुश्री रेम्या पी.	संयुक्त निदेशक
सुश्री सुधा मीना	उप सचिव
श्री हॉलियनकैप सुआनता	अवर सचिव
श्री विकास निगम	उप निदेशक
सुश्री सुनीता चौधरी	उप निदेशक
सुश्री जसलीन कौर रेखी	उप निदेशक
सुश्री भारती गौतम	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
सुश्री रोली	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री नितिन रंजन	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री राजीव नंदन चौधरी	सहायक अनुभाग अधिकारी
श्री सुनील एब्बोट	सहायक अनुभाग अधिकारी
श्री कुशहाल सिंह मीणा	सहायक अनुभाग अधिकारी
श्री अमित कुमार	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री धीरेन्द्र चौहान	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री विवेक सिंह	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री अमित शुक्ला	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री सत्येंद्र कुमार	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी

सत्यमेव जयते

QR code for MPLADS portal

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार
www.mplads.gov.in